



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222837
CG-DL-E-29102020-222837

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942

No. 316]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एसएसआर-10/2019

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निष्पादक समीक्षा जांच ।

फा. सं. 7/22/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली या ए डी नियमवली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद पश्चात अधिकारी कहा गया है), ने 29 अक्टूबर, 2003 को चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक (जिसे

आगे एन टी सी एफ या “संबद्ध वस्तु” या “पी यू सी” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2003-डीजीएडी दिनांक 9 मार्च, 2005 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. 36/2005-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। तत्पश्चात अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी दिनांक 16 सितंबर, 2008 के माध्यम से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी दिनांक 31 मार्च, 2009 के माध्यम से यह निष्कर्ष दिया कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पाटन और परिणामी क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना सं. 41/2009 – सीमा शुल्क दिनांक 29 अप्रैल, 2009 द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटनरोधी शुल्क लगाया था। तत्पश्चात दूसरे निर्णायक समीक्षा जांच शुल्क की गई थी और प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/13/2013-डीजीएडी दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के द्वारा शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 30/2015-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 12 जून, 2015 के माध्यम से शुल्क लगाया गया था।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उनके पुनरावृत्ति की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत साक्षांकित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:
 ".....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
4. एसोसिएशन फाइबर ऑफ इंडस्ट्री ने अपने सदस्यों मै० एस आर एफ लि० और मै० सेंचुरी एंका लि० (जिन्हें आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) की ओर से घरेलू उद्योग की ओर से अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।
5. घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्रस्तुत पाटन और क्षति की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य वाले साक्षांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. फा. सं. 7/22/2019-डीजीटीआर (एस एस आर सं. 10/2019) दिनांक 21 नवंबर, 2019 द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की ताकि चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 1 तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 15/2020- सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा पाटनरोधी शुल्क की अवधि को 11 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया था।
7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है-
 - i. ए डी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरुआत को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 21 नवंबर, 2019 की अधिसूचना द्वारा जारी किया।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में संबंध देश के दूतावास संबंध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना 40 दिनों के भीतर लिखित में अपनी विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
 - iv. प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति भेजी थी।
 - v. भारत में संबंध देश के दूतावास से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
 - vi प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए, को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी ताकि नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगी जा सके।
 - क. निंगबो नायलॉन कंपनी लि०
 - ख. जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०
 - ग. किंगदाओ नियानचुआंग स्टॉक कंपनी लि०
 - घ. किंगझोडु हेली केमिस्ट्री फाइबर कंपनी लि०
 - ङ. शानडांग बोरन (होल्लिंग) कंपनी लि०
 - च. बालिंग पेट्रोकेमिकल्स
 - छ. झांगजियागांग रिकी कोर्ड फाइबर कंपनी लि०
 - ज. शानडांग अण्डा सिंथेटिक फाइबर प्रोडक्ट्स कंपनी लि०
 - झ. वेईफेंग ग्रेट ड्रैगन केमिकल फाइबर कंपनी लि० / शानडांग पोलिटेक्स
 - ञ. जियांगसु कुन्फा केमिकल कंपनी लि०
 - ट. ताईझोऊ केमिकल फाइबर्स कंपनी
 - ठ. शानडांग हुआलियान ग्रुप कंपनी लि०

- ड. जियांगसु हेयांग केमिकल फाइबर्स कंपनी लि०
- ढ. वुजियांग डिंगझेन टेक्सटाइल कंपनी लि०
- ण. शानडांग हुआलियान ग्रुप कंपनी लि०
- त. वेईफेंग सेन्यु ट्रेडिंग कंपनी लि०
- थ. जियांगसु स्टील
- द. शानडांग हेसेंग केमिकल वेविंग कंपनी लि०
- ध. शानडांग शाउगुआंग रिहुआ नॉन-वुवेन फैब्रिक्स कंपनी लि०
- न. अचिन वेविंग एंड स्ट्रिंग (शंघाई) कंपनी लि०
- vii. संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- क. जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०
- ख. हुआई ऐन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि०
- ग. निग्बो जिनलुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि०
- घ. निग्बो नायलॉन कंपनी लि०
- ड. हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०
- च. जियांगसु टांगजिन केमिकल फाइबर कंपनी लि०
- छ. जियांगसु हाओहुई ट्रेडिंग कंपनी लि०
- ज. पिंगडिंगशान शेन्मा नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक्स डेवलपमेंट कंपनी लि०
- झ. शेन्मा इंडस्ट्रीज कंपनी लि०
- ञ. हांगझोऊ मगुली कोर्ड कंपनी लि०
- ट. हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि०
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए, को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- क. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लि०
- ख. अपोलो टायर्स लि०
- ग. फाल्कोन टायर्स लि०
- घ. बिरला टायर्स
- ड. गुडईयर इंडिया लि०
- च. टी वी एस श्रीचक्र लि०
- छ. जे के टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०
- ज. सिएट लि०
- झ. एम आर एफ लि०

- ज. मदुरा इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल लि०
- ट. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए)
- ix. इस उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों या उपभोक्ताओं ने विहित प्रपत्र में आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- क. सिएट लि०
- ख. जे के टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०
- ग. एम आर एफ लि०
- घ. टी वी एस श्रीचक्र लि०
- x. मै० ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए टी एम ए) ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में भागीदारी के लिए पत्र भी प्रस्तुत किया है।
- xi. ऐसे निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है या इस जांच की संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यथा आवश्यक गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा था। जहां भी उन्होंने सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण का अनुरोध किया और दस्तावेजों की प्रति मांगी, उन्हें उपलब्ध करायी गई।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 (पी ओ आई) तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तथा पी ओ आई की अवधि पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की विश्लेषण के लिए जुलाई, 2019 - दिसंबर, 2019 की अवधि पर पी ओ आई पश्चात की अवधि के रूप में विचार किया है।
- xv. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूर्वक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xvi. सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत तथा उत्पादन की ईष्टतम लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) ज्ञात की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए सौदावार आयात आंकड़ों के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सूचना पर भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा किया गया है।
- xviii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को 11 सितंबर, 2020 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध तथा खंडन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

- xix. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को उनके संगत होने के अनुसार इन जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा शामिल किया गया है।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटन विवरण को रिकार्ड किया है।
- xxi. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच के अनिवार्य तथ्यों को 23 अक्टूबर, 2020 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को संगत समझे जाने पर इस अंतिम जांच परिणाम में स्थान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश प्रकटन पश्चात के अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए पूर्ववर्ती अनुरोध का केवल दोहराव थे तथापि, प्रकटन के पश्चात अनुरोधों पर इन जांच परिणामों में इस अंतिम जांच परिणाम में संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxiii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए जांच अवधि के दौरान अपनाई गई विनिमय दर 1 यू एस डॉलर = 71.54 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 9 वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ) है। संबद्ध वस्तु नायलॉन का एक फैब्रिक है जिसका अधिकांशतः टायर कोर्ड के लिए प्रयोग होता है। एन टी सी एफ का प्रयोग विभिन्न प्रकार के आटोमोटिव टायरों जैसे बस और ट्रक के टायर, दोपहिया के टायर, साइकिल के टायर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायर पशुओं द्वारा चालित वाहन के टायर आदि में होता है। नायलॉन कोर्ड टायर फैब्रिक यार्न के विभिन्न डैनियर के प्रयोग से उत्पादित होते हैं। इस फैब्रिक को टायर के रिइन्फोर्समेंट में प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद को "ग्रे फैब्रिक" और "डिण्ड फैब्रिक" के रूप में बेचा जाता है ये विचाराधीन उत्पाद के दो विभिन्न रूप मात्र हैं। भारत टायर उद्योग ग्रे और डिण्ड फैब्रिक दोनों का प्रयोग करता है। सभी प्रकार के एन टी सी एफ विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं और उन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 5902.10.00 अध्याय 59 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं।
- चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल तथा पूर्व में हुई जांच में यथा परिभाषित के समान रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अतः घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में पूर्ववर्ती जांच का उल्लेख और उस पर भरोसा करता है। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।
 - घरेलू उद्योग नायलॉन 66 ग्रेड एन टी सी एफ का निर्माण करता है और इसलिए इसे उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखना चाहिए।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- पिछली तीन जांचों में प्राधिकारी ने पी यू सी को नायलॉन ग्रीज और नायलॉन डिण्ड में परिभाषित किया है, परंतु विचाराधीन उत्पाद का एक और ग्रेड अर्थात् नायलॉन 66 ग्रेड है।

- ii. पूर्ववर्ती जांच के दौरान नायलॉन 66 का निर्यात नहीं हुआ था और इसलिए उसे बाहर रखने का प्रश्न नहीं उठा था।
- iii. एन एफ वाई का नायलॉन 66 ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होता है इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- iv. नायलॉन 66 आधारित एन टी सी एफ नायलॉन 6 आधारित एन टी सी एफ से अधिक महंगा है। निर्यात कीमतों में भी यही प्रवृत्ति है।
- v. पी यू सी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामले संबंधी अपवादों के अधीन मूल जांच के समान रखा जाए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. मूल जांच, पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक है। पूर्ववर्ती जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था। “वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ) है। संबद्ध वस्तु नायलॉन का एक फैब्रिक है जिसका अधिकांशतः टायर कोर्ड के लिए प्रयोग होता है। एन टी सी एफ का प्रयोग विभिन्न प्रकार के आटोमोटिव टायरों जैसे बस और ट्रक के टायर, दोपहिया के टायर, साइकिल के टायर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायर पशुओं द्वारा चालित वाहन के टायर आदि में होता है। नायलॉन कोर्ड टायर फैब्रिक यार्न के विभिन्न डैनियर के प्रयोग से उत्पादित होते हैं। इस फैब्रिक को टायर के रिइन्फोर्समेंट में प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद को “ग्रे फैब्रिक” और डिप्ड फैब्रिक” के रूप में बेचा जाता है। ये विचाराधीन उत्पाद के दो विभिन्न रूप मात्र हैं। भारतीय टायर उद्योग ग्रे और डिप्ड फैब्रिक दोनों को खरीदता है। सभी प्रकार के एन टी सी एफ विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं और उन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 5902.10.00 अध्याय 59 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।”
13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से भी इसे खरीदा है। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।
14. नायलॉन 66 आधारित एन टी एस एफ को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि वह नायलॉन आधारित एन टी सी एफ उत्पादित करता है क्योंकि घरेलू उद्योग नायलॉन 66 आधारित एन टी सी एफ निर्माण करता है। इसलिए इसे जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

15. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -
“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

- i. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन एन टी सी एफ के भारतीय निर्माता उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (ए एस एफ आई) द्वारा दायर किया गया है। एस आर एफ लि० सेंचुरी एंका लि० ने वर्तमान जांच के संदर्भ में समस्त संगत सूचना उपलब्ध करायी है।
- ii. एस आर एफ लि० और सेंचुरी एंका लि० ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
- iii. एस आर एफ लि० संबद्ध देश में किसी निर्यातक या नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पाटित वस्तु के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है।
- iv. सेंचुरी एंका लि० एक आयातक अर्थात् बिरला टायर जो विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक है, से संबंधित रहा था। सेंचुरी एंका आज की तारीख में बिरला टायर से संबंधित नहीं है। यद्यपि पहले 3 जुलाई, 2019 तक दोनों कंपनियों का चेयरमैन एक ही था। तथापि, दोनों कंपनियों के बीच साझा निदेशक नहीं है। इसके अलावा, कंपनी सभी घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों से खरीद कर रही है। ये दोनों कंपनियां पूर्णतः स्वतंत्र रूप से प्रचालन करती हैं और खरीद बिक्री कथित संबंध से प्रभावित नहीं होती हैं।
- v. चूंकि दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से प्रचालन करती हैं, इसलिए आवेदक बिरला टायर्स द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा से अनभिज्ञ है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -

- i. सेंचुरी एंका को घरेलू उद्योग के दायरे में नहीं माना जा सकता है।
- ii. सेंचुरी एंका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के नियमित आयातक बिरला टायर्स से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग की स्थिति का एंका के उत्पादन को अलग करके पुनः आकलन किया जाना चाहिए।
- iii. याचिकाकर्ताओं ने वह समय नहीं बताया है जब वह संबंधित कंपनी से अलग हुए।
- iv. बिरला टायर द्वारा किए गए सभी आयातों को उचित विश्लेषण के लिए मात्रा और कीमत प्रभाव तथा आयातों के बाजार हिस्से विचार करते समय हटाया जाना चाहिए।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. वर्तमान मामले में आवेदन अपने सदस्यों की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री द्वारा दायर किया गया है। मै० एस आर एफ और सेंचुरी एंका लि० (जिन्हें आवेदक कंपनियां भी कहा गया है) का कुल भारतीय उत्पादन में *** हिस्सा बनता है। इन आवेदक कंपनियों ने विहित प्रपत्र के अनुसार संगत सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० मदुरा इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल लि० ने भी भारत में समान वस्तु का उत्पादन करता है। तथापि मै० मदुरा इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल लि० ने न तो वर्तमान जांच का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। आवेदकों का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है।
19. सेंचुरी एंका की पात्रता के संबंध में घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि सेंचुरी एंका लि० एक प्रयोक्ता (बिरला टायर्स) जो जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयातक है, से संबंधित था। घरेलू उद्योग ने यह भी दलील दी है कि उक्त संबंध आज की तारीख या जांच की शुरुआत के समय भी मौजूद नहीं है। यह दलील देते हुए कि सेंचुरी एंका को पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बिरला टायर्स आयातों की मात्रा संबंधी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। बिरला टायर्स ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और वर्तमान जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। यद्यपि ए टी एम ए वर्तमान जांच में भागीदारी कर रहा है और बिरला टायर्स उसका सदस्य है। तथापि, ए टी एम ए ने बिरला टायर्स द्वारा आयातों की मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। अतः प्राधिकारी ने डी जी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है और यह पाया कि बिरला टायर्स द्वारा बहुत कम आयात किए गए हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि कंपनी द्वारा आयातों की कम मात्रा से वह नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग माने जाने के अपात्र नहीं हो सकते हैं। चार्जें ये दोनों पी ओ आई या उसके बाद के दौरान नियमावली के अर्थ के भीतर संबंधित रहे हों।

20. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक कंपनियां अर्थात् मै० एस आर एफ लि० और सेंचुरी एंका लि० समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से का उत्पादन करते हैं और आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं। आवेदन यद्यपि नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में नियम 5(3) के अर्थ के भीतर योग्यता सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

- i. प्रतिवादी निर्यातक और उत्पादक ने व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के जरिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देशों की ओर अनदेखी करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ii. वर्तमान मामले में अधिकांश हितबद्ध पक्षकार समुचित और सार्थक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
- iii. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अगोपनीय सारांश में गलत सूचीकरण किया गया है जिसमें उन्होंने पी ओ आई के आंकड़े 100 माने हैं और क्षति अवधि का सूचीकरण किया है।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई सूचना प्रश्नावली का एक अनिवार्य अंग है। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग अपने हितों के संरक्षण हेतु कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।
- v. अत्यधिक तथा अनुचित गोपनीयता के दावे किसी हितबद्ध पक्षकार के लिए उसके बचाव का अवसर समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार जांच प्रक्रिया में बाधा होती है।
- vi. प्राधिकारी से ऐसे उत्तरों की अनदेखी करने और तदनुसार, जांच परिणाम जारी करने का अनुरोध किया जाता है।
- vii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार सूचीकरण प्रस्तुत किया है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

- i. याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ii. याचिका का अगोपनीय अंश आरोपों को तर्कसंगत ढंग से समझाने में अपर्याप्त है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन करता है।
- iii. याचिका में प्रदत्त महत्वपूर्ण आंकड़े एन सी वी में उचित ढंग से सूचीबद्ध या प्रदत्त नहीं हैं।
- iv. लागत निर्धारण संबंधी सूचना पूरी तरह गायब है और गोपनीयता का कोई कारण नहीं बताया गया है।
- v. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संभावना संबंधी सूचना बाजार शोध रिपोर्ट मात्र होने के बावजूद गोपनीय है।
- vi. इस सूचना के गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह व्यापार स्वामित्व संबंधी नहीं है और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है।
- vii. प्रतिलिप्या अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई के दौरान प्रतिलिपि अधीन कार्य को पुनः प्रस्तुत करने हेतु किसी प्राधिकार की जरूरत नहीं है।

- viii. नियम 6(7) में प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उन्हें प्रस्तुत साक्ष्य को सभी अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में तत्संबंधी निर्णय इस संबंध में संगत है।
- ix. चीन जन. गण. के तीसरे देश का पाटन मार्जिन व्यापार स्वामित्व की सूचना नहीं हो सकता है।
- x. याचिकाकर्ताओं के द्वारा कीमत कटौती की पद्धति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कीमत कटौती को गोपनीय माना गया है।
- xi. अगोपनीय सारांश या घरेलू कीमतों में कटौती वाले आयातों की मात्रा और कीमत कटौती की रेंज उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- xii. यद्यपि कुछ भारतीय उत्पादकों ने याचिकाकर्ता के साथ भाग नहीं लिया है। तथापि, कार्य निष्पादन मापदंडों के लिए वास्तविक समग्र आंकड़े व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार दिए जाने चाहिए।
- xiii. डी आई ने खरीद, बिक्री और लागत लेखांकन नीतियों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और परीक्षणों का प्रकटन नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

24. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल के जरिए निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।

25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार, समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

26. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

- i. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों में कुछ बड़े विरोधाभास हैं। इससे उनमें प्रदत्त आंकड़ों की सत्यता और पर्याप्तता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है और इसलिए प्राधिकारी से उन्हें अस्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।
- ii. निर्यातक प्रश्नावली के भाग 2 के लिए शेन्मा इंडस्ट्रीज कंपनी लि० द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार भविष्य में पी यू सी के उत्पादन का विस्तार या वृद्धि करने की उनकी कोई योजना नहीं है। तथापि, 2018, का वित्तीय विवरण निर्माणाधीन प्रगति के लिए निधियों का आवंटन करने का साक्ष्य

दर्शाता है।

- iii. जियांग्सु टांगजिन केमिकल फाइबर कंपनी लि० और जियांग्सु हाओहुई ट्रेडिंग कंपनी लि० दोनों ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है और अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जियांग्सु टांगजिन केमिकल फाइबर कंपनी लि० ने खंड क – निर्यातक प्रश्नावली के भाग-I के प्रश्न 2 के उत्तर में बताया है कि “हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि० टांगसिल केमिकल फाइबर का एक मात्र शेयर धारक है और हेयांग टेक्नोलॉजी विचाराधीन उत्पाद और उत्पादन के बिक्री में शामिल किसी अन्य कंपनी से संबंधित नहीं है।” यतः जियांग्सु हाओहुई ट्रेडिंग कंपनी लि० ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उसी प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि वह हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि० के पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी भी है।

- iv. प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अधूरे उत्तरों को अस्वीकृत करना चाहिए।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं-

- i. पाटनरोधी शुल्क 2005 से लागू है और इसने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है।
- ii. प्राधिकारी से वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करने का अनुरोध किया जाता है। नायलॉन फिलामेंट यार्न, ड्राई सेल बैट्री विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामलों पर भरोसा किया जाए जिनमें प्राधिकारी ने क्षति या क्षति की संभावना के अभाव के कारण एस एस आर जांच की शुरुआत करने या उसे समाप्त करने से मना कर दिया था।
- iii. जांच शुरुआत सूचना के पठन मात्र से उस आधार का पता नहीं चलता है। इस पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि समीक्षा की शुरुआत करना अपेक्षित है जो केशवराम रेयान बनाम डी ए में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपेक्षित है।
- iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना नियम 5(3) के अंतर्गत जांच शुरुआत के लिए अधूरी है। याचिका में लगाए गए आरोप अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं। यूनाइटेड स्टेट – साफ्टवुड लुंबर, ग्वाटेमाला-सीमेंट-II और मैक्सिको – स्टील पाइप और ट्यूब्स संबंधी डब्ल्यू टी ओ पैनल रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है।
- v. पूरा ई क्यू ओर प्रस्तुत किया गया है। यदि प्राधिकारी द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और विरोधी तर्कों को नोट किया है और किए गए सभी अनुरोधों के पहलुओं की जांच की है।

- i. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए निरंतर शुल्क के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है और पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ायी जा सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित विधिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।
- ii. आवेदन की पर्याप्तता और सत्यता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में ऐसी समस्त सूचना है जो जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ संगत है। प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने की आवेदन में जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने वाले समस्त साक्ष्य हैं, के बाद ही वर्तमान जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

29. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का केवल तभी पालन करना होगा यदि प्रतिवादी चीनी कंपनियां सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी चीनी कंपनियां यह दर्शाने में असमर्थ हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना अपनाई जा सकती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
- ii. वर्तमान जांच में किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी से सभी प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले सीधे देश में कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध किया जाता है।
- iv. घरेलू उद्योग यह मानता है कि थाईलैंड सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समुचित तीसरा देश है।

- v. आवेदकों ने एक संबद्ध आवेदक कंपनी अर्थात् एस आर एफ इंडस्ट्रीज (थाईलैंड) लि० की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।
- vi. वैकल्पिक रूप से सामान्य मूल्य थाईलैंड या ताईवान से भारत को आयात कीमत के आधार पर परिकलित किया जा सकता है।
- vii. ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्पों की क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से दी गई है। प्राधिकारी यह पता लगाने से पहले सामान्य मूल्य परिकलित नहीं कर सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देश के लिए तीसरे देश से कीमत संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है।
- viii. निर्यात कीमत का परिकलन बाजार सूचना और सामान्य अनुभव तथा सर्वाधिक सीमित अनुमानों पर विचार करते हुए उनके आधार पर विभिन्न समायोजन करने के पश्चात् किया गया है।
- ix. संबद्ध देश के लिए परिकलित पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं :
 - i. सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि थाईलैंड प्रमुख उत्पादक/निर्यातक है और चीन जन. गण. से थाईलैंड की तुलना हेतु पी यू सी काफी अधिक आयात हुए हैं।
 - ii. समष्टि आर्थिक संकेतक दर्शाते हैं कि थाईलैंड चीन जन. गण. से तुलनीय नहीं है।
 - iii. प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में नोट किया है कि थाईलैंड उचित तीसरा देश नहीं है।
 - iv. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किए बिना भारत को थाईलैंड से कीमतें स्वीकार की हैं कि क्या वह विकास के स्तर की तुलना में तुलनीय है। गुनवालड लॉजिस्टिक सर्विस जीएमबीएच बनाम हॉप्टजोलास्ट हैम्बर्ग-स्टैड मामलों में ई यू के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
 - v. प्राधिकारी से घरेलू उद्योग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है कि पाटन मार्जिन की गणना से पहले वह दर्शाए कि थाईलैंड कैसे उचित तीसरा देश है।
 - vi. यदि थाईलैंड को उचित तीसरे देश मान भी लिया जाता है तो बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में देय कीमत को समग्र रूप से लिया जाए न कि केवल थाईलैंड के केवल एक उत्पादक पर विचार किया जाए।
 - vii. याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं दर्शाया है कि यदि एस आर एफ (थाईलैंड) लि० की कीमतें बिक्री स्थान पर उत्पादक व्यापारी के लिए नहीं हैं तो क्या वह कारखानाद्वारा स्तर या अन्यथा हैं। ऋण अवधि और व्यापार की शर्तें क्या हैं।
 - viii. निर्यात कीमत संबंधी समायोजन असामान्य रूप से अधिक और असाक्षात्कृत है।
 - ix. प्राधिकारी को 11 दिसंबर, 2016 के बाद "प्रतिनिधि देश" पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी - फास्टनर मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) और 15 (ख) की व्याख्या इसका समर्थन करती है।
 - x. प्राधिकारी से यह विचार करने का अनुरोध किया जाता है कि 11 दिसंबर, 2016 के बाद भारत के पास चीन जन. गण. के विरुद्ध एन एम ई पद्धति के प्रयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि एम ई टी प्रदान किया जाए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार परिकलित किया जाए और कम से कम कंपनी द्वारा प्रदत्त लागत और कीमतों संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया जाए।
 - xi. यदि किसी तीसरे देश की भारत की कीमत को लिया जाए तो समुचित होने का परीक्षण किया जाएगा।

- xii. एन बी का परिकलन सी टी ए की धारा 9क (1)(ग) के अनुसार नहीं है और ई पी बढ़ाया गया है।
- xiii. निर्यात कीमत सहयोगी निर्यातकों की सत्यापित सूचना और थाईलैंड में बिक्री कीमत पर एन बी या भारत को थाईलैंड/ताईवान से आयात कीमतों पर आधारित होनी चाहिए।
- xiv. पी ओ आई के बाद में पाटन को उत्पादकों और निर्यातकों से मांगी गई पी ओ आई की बाद की सूचना तक प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत करते हुए जांच में सहयोग किया है।
- i. जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०
 - ii. हुआई ऐन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि०
 - iii. निग्बो जिनलुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि०
 - iv. निग्बो नायलॉन कंपनी लि०
 - v. हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०
 - vi. जियांग्सु टांगजिन केमिकल फाइबर कंपनी लि०
 - vii. जियांग्सु हाओहुई ट्रेडिंग कंपनी लि०
 - viii. पिंगडिंगशान शेन्मा नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक्स डेवलपमेंट कंपनी लि०
 - ix. शेन्मा इंडस्ट्रीज कंपनी लि०
 - x. हांगझोऊ मगुली कोर्ड कंपनी लि०
 - xi. हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि०

चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

33. डब्ल्यू टी ओ में चीन जन. गण. के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:
- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ख) (ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं। तथापि, एसेसन प्रोटोकॉल के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्वों के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1 के अंतर्गत प्रावधान में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड एम ई टी दर्जे के दावे के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदत्त की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के जरिए पूरा किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार / पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ आगे कार्यवाई करना उचित समझते हैं।

छ.4.1 चीन. जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

35. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने नए वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है और ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) के अनुसार गैर बाजार व्यवहार का खंडन करने के लिए कोई सूचना नहीं दी है। अतः ए डी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 8 (2) के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता निर्विवाद रहती है। अतः प्राधिकारी ने ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
36. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित क्रमानुसार सामान्य मूल्य के परिकलन के विकल्प का प्रयोग किया है। इसमें व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो, वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वस्तुतः प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि अवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ को शामिल करके विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
37. प्राधिकारी थाईलैंड में कीमत की उपयुक्तता के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं। विचाराधीन उत्पाद संबंधी पूर्व निर्धारण और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए प्राधिकारी थाईलैंड में लागत या कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं समझते हैं।
38. प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत को तर्कसंगत लाभ को जोड़कर बिक्री, सामान्य और प्राशासनिक व्यय सहित विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया

है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य एक नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

39. प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.2 निर्यात कीमत

मै० हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि० (उत्पादक/निर्यातक), चीन जन. गण.

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि० चीन जन. गण. ने विहित प्रपत्र और ढंग से उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधी व्यय तथा बैंक प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, मै० हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि० चीन जन. गण. के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि० (उत्पादक/निर्यातक)

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि० चीन जन. गण. ने विहित प्रपत्र और ढंग से उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधी व्यय तथा बैंक प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, मै० हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि० चीन जन. गण. के लिए कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मै० निंगबो जिनलुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि०, (उत्पादक) चीन जन. गण. मै० हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि० (प्रसंस्कर्ता/उत्पादक), चीन जन. गण. द्वारा प्रसंस्कृत/उत्पादक

42. मै० निंगबो जिनलुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि० ने भारत को पी ओ आई के दौरान मै० हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधी व्यय, ऋण लागत तथा बैंक प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, मै० हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि० चीन जन. गण. के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० (उत्पादक/निर्यातक), चीन जन. गण.

43. मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० ने भारत को पी ओ आई के दौरान ग्राहकों को सीधे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधी व्यय तथा बैंक प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल कंपनी लि० चीन जन. गण. के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०, चीन जन. गण. ने विहित प्रपत्र और ढंग से उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पत्तन और अन्य संबंधी व्यय तथा बैंक प्रभार के संबंध में निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर में किए गए दावे के अनुसार कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए

समायोजन किए गए हैं। तदनुसार, जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि० चीन जन. गण. के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जिसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

45. चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्राधिकारी ने चीन से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक के संबंध में ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.4.3 पाटन मार्जिन

46. यथोक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों हेतु पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	निर्यात मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	रेंज
		एमटी	यूएस डॉलर/एमटी	यूएस डॉलर/एमटी	यूएस डॉलर/एमटी	%	%
1.	मै० हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०	***	***	***	***	***	0-20
2.	हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि०	***	***	***	***	***	नकारात्मक
3.	हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि०	***	***	***	***	***	0-20
4.	मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल चीन जन. गण.	***	***	***	***	***	नकारात्मक
5.	जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०	***	***	***	***	***	0-20
6.	गैर-सहयोगी	***	***	***	***	***	0-20

ज. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

47. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. .." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
48. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 इसी समीक्षा के मामले में आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में ऐसे क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियम 11 तथा नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत अपेक्षित है और इस बात की भी जांच की है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन मै० एस आर एफ लि० और मै० सेंचुरी एंका लि० द्वारा दायर किया गया है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदकों को इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है। अतः आवेदकों की लागत और क्षति संबंधी सूचना को नियम 2(ख) में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग के रूप में जांचा गया है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

- i. समीक्षा जांच करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए उस सीमा पर विचार करना अपेक्षित है, जहां तक लागू पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में कोई सुधार हुआ हो और क्या घरेलू उद्योग यदि शुल्क समाप्त हो जाता है तो क्षति होने के प्रति संवेदनशील है।
- ii. ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ हो, लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में जांच किया जाना अपेक्षित है।
- iii. घरेलू उद्योग ने जांच की वर्तमान अवधि में क्षति का दावा नहीं किया है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध देशों से पाटन जारी है।
- v. घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पहले ही काफी नाजुक है।
- vi. संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष में वृद्धि हुई है। तथापि, आटो उद्योग के सामने आई मंदी के कारण जांच अवधि के दौरान मांग में मामूली गिरावट आई है।
- vii. संबद्ध देश से आयात में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। आयात केवल शुल्क मुक्त श्रेणी के अंतर्गत हुए हैं, क्योंकि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत न तो ए डी डी और न ही मूल सीमा शुल्क आयातों के मामले में लागू होता है।
- viii. प्राधिकारी से क्षति विश्लेषण पर विचार करते समय लागू सीमा शुल्क को अपनाने का अनुरोध किया जाता है।
- ix. आयातक कीमतों में उसी समय पर काफी उतार-चढ़ाव हुआ है।
- x. आयात कीमतों में ऐसे उतार-चढ़ाव के साथ घरेलू उद्योग प्राधिकारी से सौदावार संभावना विश्लेषण करने और प्रतिवादी निर्यातकों से आदेश की तारीख मांगने का अनुरोध करता है।
- xi. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन को केवल उन आयात सौदों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाए जिनके आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोध शुल्क – यूरोपीय समुदाय के मामले में डब्ल्यू ओ रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।
- xii. कीमत कटौती की गणना के लिए ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोध शुल्क – यूरोपीय समुदाय के मामले में डब्ल्यू ओ रिपोर्ट में प्रयुक्त सिद्धांत क्षति मार्जिन की गणना पर भी लागू होता है।
- xiii. घरेलू उद्योग की चिंता क्षतिकारी आयातों के विरुद्ध है और न कि गैर-क्षतिकारी आयातों के विरुद्ध।
- xiv. कोठारी सुगर्स एंड केमिकल्स लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें क्षति मार्जिन की गणना हेतु केवल एन आई पी से कम के आयात सौदों पर विचार करने की अनुमति दी गई थी। क्षति मार्जिन की गणना हेतु एन आई पी से अधिक के आयात सौदों पर विचार नहीं होना चाहिए।
- xv. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में जांच अवधि के बाद गिरावट आई है।
- xvi. जांच अवधि के बाद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आयात कीमत में गिरावट के कारण लागत में कमी से अधिक गिरावट आई है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हुई है।
- xvii. पी ओ आई के बाद लाभ, नकद लाभ पी बी आई टी में भारी गिरावट आई है।
- xviii. पी ओ आई के बाद निवेश पर आय में इतनी ज्यादा गिरावट आई है कि आर ओ आई एक अंकीय हो गया है।

- xix. जांच अवधि के अंत तक तथा जांच अवधि के बाद क्षति मार्जिन सकारात्मक रहा है।
- xx. निर्णायक समीक्षा में कारणात्मक संबंध सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में घरेलू उद्योग प्राधिकारी का ध्यान मैक्सिको से ऑयल कंट्री टिब्यूलर गुड्स के मामले में अपीलिय निकाय के निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता है। (डब्ल्यूटी/डीएस 282/एबी/आर) दिनांक 2 नवंबर, 2005।
- xxi. वर्तमान मामले में जांच अवधि जुलाई, 2018 से जून 2019 तक है। इसलिए 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अधिकांशतः जांच अवधि से बाहर है।
- xxii. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

51. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध नीचे पुनः प्रस्तुत हैं :

- i. घरेलू उद्योग के पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और संभावना के दावे के समर्थन में साक्ष्यात्मक कमियां मौजूद हैं।
- ii. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है, क्योंकि अनुबंध-II का पैरा (ii) और (iv) में दी गई दशाएं पूरी होती हैं।
- iii. सभी संबद्ध आयात अग्रिम लाइसेंस के जरिए हुए हैं और याचिकाकर्ताओं तथा अन्य भारतीय उत्पादकों का वास्तविक एकाधिकार है।
- iv. अन्य देशों से आयात घरेलू बाजार की तुलना में कम है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है।
- v. घरेलू उद्योग को पूर्ववर्ती समीक्षा जांच में मात्रात्मक प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा है।
- vi. घरेलू उद्योग ने बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार दर्शाया है। पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता भी प्रभावित नहीं हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभप्रदता, नकद प्रवाह और निवेश पर आय में गिरावट, मांग में गिरावट और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि तथा अन्य देशों से आयात के कारण हुई है।
- viii. मालसूची की स्थिति भी मांग में संकुचन तथा घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है।
- ix. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ है और यह अन्य कारकों पर निर्भर है।
- x. पी ओ आई में कोई कीमत कटौती नहीं हुई है।
- xi. सभी सौदों को भारित औसत आधार पर शामिल करके कीमत कटौती निर्धारित करने की डीजीटीआर की प्रक्रिया रही है।
- xii. प्रपत्र iv-ख और प्रापत्र-ज में प्रदत्त घरेलू बिक्री कीमतें अलग-अलग हैं।
- xiii. यदि सौदावार कीमत कटौती की गणना की जाए तो भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर भी सौदावार आधार पर विचार किया जाना चाहिए जो आयातों के समय तुलनात्मक दृष्टि से समान है। उचित तुलना सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोरिया न्यूमैटिक वाल्स ने पैनल के रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसमें पैनल ने माना है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि घरेलू समान उत्पाद की कीमतें समग्र रूप से अलग-अलग कीमत कटौती घटनाओं से कैसे प्रभावित हुईं।
- xiv. ऐसे सौदों के कारण कीमत में संभावित ह्रास और न्यूनीकरण के निर्धारण हेतु ऐसी कोई तुलना करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तुलना किए गए सौदे घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री के लिए सौदों के

समय पर्याप्त रूप से निकटस्थ हैं। मात्राएं समान होनी चाहिए और उचित तुलना सुनिश्चित करने हेतु कीमतें समायोजित की जानी चाहिए।

- xv. 22 प्रतिशत आर ओ सी आई की अनुमति देने की डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती है।
- xvi. प्राधिकारी को तब वास्तविक लाभ मार्जिन को लेना चाहिए जब तर्कसंगत आय की गणना हेतु पाटन का कोई आरोप नहीं था। ईएफएमए बनाम काउंसिल मे ईयू की प्रक्रिया संबंधी निर्णय ह्योसुंग कारपोरेशन बनाम डी ए में सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- xvii. घरेलू उद्योग को क्षति का पुनरावृत्ति का दावा निराधार है, क्योंकि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तु के आयातों के बावजूद कीमत कटौती ऋणात्मक रही है।
- xviii. मैक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स में अपीलिय निकाय का निर्णय बिल्कुल अलग है और ए डी नियमावली के नियम 23 के संदर्भ में भारतीय स्थिति में अप्रयोजनीय है।
- xix. नियम 11 (2) में यथा प्रदत्त कारणात्मक संबंध का विश्लेषण लागू होता है। अनुबंध-II के पैरा 5 में, अनुबंध-II के पैरा i (ii) में इसे पुनः दोहराया गया है और इसमें भी वही अपेक्षित है। सेंचुरी प्लाई बोर्ड बनाम भारत संघ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय पर भरोसा किया गया है।
- xx. पाटन और क्षति दोनों की पुनरावृत्ति की मौजूदगी या खतरे का होना जरूरी है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए।
- xxi. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को समग्र रूप से क्षति के संबंध में लेना चाहिए और घरेलू उद्योग के अलग-अलग घटकों पर विचार नहीं करना चाहिए।
- xxii. सभी सौदों को लेकर कीमत की गणना करने की डीजीटीआर की परिपाटी रही है।
- xxiii. कीमत कटौती विश्लेषण के लिए उचित तुलना सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोरिया – न्यूमेटिक वाल्स में पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है। लिखित विवरण में याचिकाकर्ता द्वारा किसी निर्णय का संदर्भ नहीं दिया गया है। यद्यपि मौखिक सुनवाई में यह बताया गया था कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। यदि इसका विश्लेषण किया भी जाता है तो उससे जब तक गहन विश्लेषण न किया जाए तब तक संभावित कीमत ह्रास / न्यूनीकरण का पता नहीं चलता है।
- xxiv. याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है कि कोठारी सुगर संबंधी सेस्टेट का निर्णय कोरिया – न्यूमैटिक वाल्स के निर्णय में विचारित नहीं था और इसलिए उसकी अनदेखी की जानी चाहिए।
- xxv. “बिक्री की तारीख” सामान्यतः “बीजक की तारीख” होती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा “आदेश की तारीख” की मांग को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- xxvi. पी ओ आई के बाद डी आई की नाजुक स्थिति मांग में संकुचन के कारण हुई थी जैसा कि डी आई की 19-20 की वार्षिक रिपोर्ट में पता चलता है।
- xxvii. पी ओ आई की बाद की कीमत कटौती का कोई दावा नहीं किया गया है। पी ओ आई के बाद कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का दावा निराधार है, क्योंकि आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत हुए हैं और डी आई से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।
- xxviii. एस एस आर में कम कीमत पर बिक्री पर विचार नहीं किया जा सकता है। निरमा बनाम भारत संघ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा पी ओ आई के बाद कम कीमत पर बिक्री पर पाटन के निर्धारण के बिना विचार नहीं किया जा सकता जो उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों के बिना संभव नहीं है।

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) का पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है।
53. सीमा शुल्क टैरिफि, अधिनियम, 1975 की धारा 9क (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाता है। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में यह राय रखती हो कि ऐसे शुल्क हटाए जाने से पाटन क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर उसकी लागू रहने की अवधि को आगे पांच वर्ष तक लिए बढ़ा सकती है और ऐसी आगामी अवधि समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
54. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना संबंधी पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।
55. ऐसा आवश्यक नहीं है कि क्षति संबंधी सभी मापदंड में गिरावट प्रदर्शित हो। कुछ मापदंडों में गिरावट हो सकती है जबकि कुछ अन्य में नहीं हो सकती है। प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की है।

ज.3.1 मांग का आकलन

56. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों को शामिल करके निर्धारित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :-

भारत में मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	105
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	150	148
चीन. जन. गण. - संबद्ध देश से आयात	एमटी	22,184	23,106	23,343	21,804
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	98
अन्य देशों से आयात	एमटी	24,400	23,568	28,733	29,656
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	118	122
भारत में कुल मांग	एमटी	1,29,998	1,35,517	1,49,326	1,45,771
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	115	112
मांग में बाजार अंश					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	95	94
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	130	132
चीन जन. गण.- संबद्ध देश	%	17.07	17.05	15.63	14.96
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	92	88

अन्य देश	%	18.77	17.39	19.24	20.34
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	103	108
कुल मांग	%	100.00	100.00	100.00	100.00

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

i. आयात मात्रा की मात्रा और संबद्ध देश का अंश

58. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा तथा साथ ही अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

आयात मात्रा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	22,184	23,106	23,343	21,804
अन्य देशों से आयात	एमटी	24,400	23,568	28,733	29,656
कुल आयात मात्रा	एमटी	46,585	46,673	52,077	51,460
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश के आयात					
आयात	%	47.62%	49.50%	44.82%	42.37%
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	94
खपत	%	17.07%	17.05%	15.63%	14.96%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	92	88

59. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में चीन जन. गण. से आयातों में क्षति अवधि के दौरान देश में निरपेक्ष दृष्टि से और सकल आयातों, खपत और उत्पादन के संदर्भ में गिरावट आई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

60. नियमावली के अनुलग्नक-II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत के दमन और कीमत में मंदी, यदि कोई हो, के संदर्भ में, घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना होता है।

i. कीमत कटौती

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा मंद करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। इस संबंध में संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की ऐसी औसत बिक्री कीमत के बीच एक तुलना की गई है, जो उसी व्यापार स्तर पर सभी छूटों और करों की निवल बिक्री है। घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित किया गया था।

कीमत कटौती— चीन	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत	रू./एमटी	197,427	237,994	306,275	305,542
निवल बिक्री वसूली	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	(0-10)	(0-10)

62. यह नोट किया जाता है कि समग्र आधार पर कीमत कटौती वर्ष 2017-18 तक सकारात्मक थी और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गई।

ii. कीमत दमन/मंदी

63. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का दमन हो रहा है अथवा मंद हो रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण मात्रा में मंद करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती, इसलिए प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं। स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है :-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	120	119
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	122	120
संबद्ध देश से पहुंच कीमत	रू./एमटी	1,97,427	2,37,994	3,06,275	3,05,542
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	155	155

64. यह देखा गया है कि बिक्रियों की लागत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 19 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि आवेदक इसी अवधि के दौरान 20 प्रतिशत तक बिक्री कीमत में वृद्धि करने में संदर्भ रहे हैं। अतः आयातों से घरेलू बिक्री कीमत पर कोई भी दमनकारी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

65. कम कीमत पर बिक्री को संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना करके आकलित किया जाता है।

विवरण	यूओएम	ग्रीज	डिप्ड	औसत
आयात मात्रा	एमटी	1,005	20,799	21,804
गैर-क्षतिकारी कीमत (एन आई पी)	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***
पहुंच मूल्य	यूएस डॉलर/एमटी	3,876	4,290	4,271
कम कीमत पर बिक्री	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%, रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक

66. घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत के साथ आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत की तुलना में, यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के तहत यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली के तहत यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक मूल्यांकन शामिल होगा, जिनका उद्योग की स्थिति से संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजूदरी, विकास, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:-

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

68. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है और इस प्रकार नोट करते हैं :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता-ग्रीज	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन मात्रा- ग्रीज	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	108	105
क्षमता उपयोग- ग्रीज	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	108	105
कुल घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	105
घरेलू बिक्रियां- ग्रीज	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	110	111
घरेलू बिक्रियां – डिण्ड	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	103

69. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता समूची क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार अंश

70. घरेलू उद्योग के बाजार अंश पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	95	94
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	130	132
चीन जन. गण.	%	17.07	17.05	15.63	14.96
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	92	88
अन्य देश	%	18.77	17.39	19.24	20.34
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	103	108
कुल मांग	%	100.00	100.00	100.00	100.00

71. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2017-18 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद गिरावट आई है।

ग. वस्तुसूची (इन्वेंट्रीज)

72. संबद्ध वस्तुओं की वस्तुसूची (इन्वेंट्री) से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
इन्वेंट्री – औसत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	134	133

73. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग के औसत इन्वेंट्री स्तर में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि दर्शाई गई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है।

घ. लाभ अथवा हानि, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल

74. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभ, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में जांच की गई है, जो इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	120	119
विक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	122	120

कर पूर्व लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	139	131
कर पूर्व कुल लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	152	138
ब्याज पूर्व कुल लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	148	137
नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	144	132
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	135	129

75. उपरोक्त से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के लाभप्रदता, अवधि में, गिरावट से पहले सभी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

76. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार थी :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	86	87
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	107	104
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	125	120
मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	103	105

77. घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तरों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता, उत्पादकता प्रति दिन और मजदूरी में जांच की अवधि में गिरावट से पूर्व क्षति अवधि के दौरान सभी में सुधार देखा गया है।

च. वृद्धि

78. क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के वृद्धि मापदंडों की जांच नीचे दर्शाई गई है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	2.97	4.26	(2.73)
घरेलू बिक्रियों की मात्रा	%	-	6.09	2.82	(3.61)
घरेलू बिक्रियों की लागत	%	-	9.16	10.17	(0.82)

घरेलू बिक्री कीमत	%	-	9.12	11.82	(1.34)
घरेलू लाभ/हानि	%	-	8.81	28.09	(5.75)
औसत स्टॉक	%	-	26.79	5.64	(0.54)

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का विकास वर्ष 2018-19 तक सकारात्मक था। तथापि, जांच की अवधि में सभी मापदंडों में विकास नकारात्मक हो गया।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है।

ज. नया निवेश जुटाने की क्षमता

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास नए निवेशों को जुटाने की क्षमता है।

क्षति के संबंध में टिप्पणियां

82. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष दृष्टि से और भारत में उत्पादन व खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। आयातों से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में न तो कटौती हो रही थी और न ही घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमतों पर किसी मंदी / दमन के प्रभाव का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में विभिन्न आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, लाभों, नकदी लाभों और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में सुधार आया है।

झ. कारणात्मक संबंध

83. पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी ऐसे ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है, जो कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण से क्षति पाटित आयातों के संबंध में न हो। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की, मूल जांच में पहले ही जांच की जा चुकी है, इसलिए प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है। यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा उच्च कीमत पर है।

ख. मांग में कमी और / अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

85. संबद्ध वस्तुओं की मांग में, आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की पद्धति में परिवर्तन होने से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ग. निर्यात निष्पादन

86. आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। तथापि, उन्होंने घरेलू प्रचालनों में क्षति की संभावना का दावा किया है। आवेदकों ने घरेलू बिक्रियों के लिए अलग से लागत और क्षति की सूचना प्रदान की है। अतः क्षति की संभावना निर्यातों के कारण से नहीं हो सकती।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

87. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति होने के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी में विकास के संबंध में कोई भी मामला नहीं उठाया है।

ड. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का एक संभव कारण है।

च. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्धा

89. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी ढंग से प्रतिबंधात्मक नहीं है और यह देश में आसानी से आयात की जा सकती है। घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है।

छ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग द्वारा और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग की उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के बारे में कोई सुझाव दिया है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

91. एक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह निर्धारण करना होता है कि क्या संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं अथवा इसकी संभावना है और क्या घरेलू उद्योग को इन पाटित आयातों के कारण से क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि शुल्क हटा लिए जाते हैं।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

92. घरेलू उद्योग ने क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में इस प्रकार से अनुरोध किया है :-
- संबद्ध देश में उत्पादकों के पास 431,000 एमटी तक की भारी क्षमताएं मौजूद हैं। इस क्षमता के प्रति घरेलू खपत उस क्षेत्र में 2,00,000 एमटी की है। चीन जन. गण. से वर्तमान निर्यात की मात्रा 82,500 एमटी है। स्पष्ट है कि चीन के उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण रूप से सरप्लस क्षमताएं मौजूद हैं।
 - प्रमुख डाउनस्ट्रीम उत्पाद, अर्थात् टायर में प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन देखा गया है, जिससे भारत से बाहर विचाराधीन उत्पाद की मांग में परिवर्तन आया है।
 - प्रमुख विकसित देशों ने बायस प्लाई टायरों की बजाय रेडियल टायरों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद का प्रौद्योगिकी में बदलाव होने की वजह से भारत में कोई उपयोग नहीं है।
 - इसके अलावा, भारत से बाहर बायस प्लाई टायरों के स्थान पर रेडियल टायरों का उपयोग होने के कारण विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक मांग में काफी गिरावट देखने में आई है।
 - अतः वैश्विक रूप से बाजार बंद होने के कारण, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
 - विभिन्न सौदों के बीच महत्वपूर्ण कीमत संबंधी अंतर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चीन के उत्पादक घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर उत्पाद को बेचने में समर्थ होंगे और अपने उत्पादन की क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे। यह उनके लिए अतिरिक्त रूप से व्यावहारिक होगा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमता के उपयोग में वृद्धि होगी।
 - चीन के निर्यातक/उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के लिए बहुत ही निर्यात अभिमुखी हैं। चीन जन. गण. में अधिक्य आपूर्ति होने के कारण निर्यातों का उत्पाद की खपत में एक बड़ा हिस्सा हो रहा है।

- viii. संबद्ध देश में निर्यातकों के पास 106,000 एम टी की महत्वपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है, जो भारत में समग्र मांग को आसानी से पूरी कर सकती है।
- ix. संबद्ध देश में उत्पादकों / निर्यातकों के पास 188,500 एम टी की ऐसी उत्पादन क्षमताएं हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है।
- x. बायस प्लाई टायर से रेडियल टायर में परिवर्तन पर बल दिए जाने से टायर क्षेत्र में उत्पाद की संरचना में समायोजन के कारण चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के लिए ठहराव और अधिक्य क्षमता की स्थिति बन रही है।
- xi. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में भी विगत वर्षों के दौरान गिरावट आ रही है। इसके अलावा, अधिक्य आपूर्ति के कारण अब निर्यात चीन के निर्यातकों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है।
- xii. संबद्ध देश से निर्यातक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं बल्कि वे अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं।
- xiii. भारत भारी खपत वाले बाजारों में से है, जिसकी सकल मांग 1,45,000 एम टी है। भारत चीन जन. गण. के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने से इन निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है। चीन के उत्पादकों ने हमेशा ही भारत को, पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारी मात्रा में निर्यात किया है।
- xiv. केवल पाटनरोधी शुल्क के कारण से ही वर्तमान मात्रा कम हुई है।
- xv. डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार के मामले में सेस्टेट के निर्णय पर निर्भरता वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में लागू नहीं है।
- xvi. निम्नलिखित ऐसे कारक हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारत, चीन के निर्यातकों के लिए सबसे अधिक आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के चीन जन. गण. से भारत में पाटित कीमतों पर निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

क. यद्यपि विश्व में मांग में गिरावट आ रही है लेकिन भारतीय मांग में वृद्धि हो रही है। प्रमुख एन टी सी एफ उत्पादक देश प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहे हैं और इसीलिए निर्यातकों द्वारा भारत जैसे एक ऐसे देश को अपने निर्यातों की वृद्धि करने की संभावना है, जहां मांग में वृद्धि हो और सकल मांग बहुत ही अधिक है।

ख. भारत अपनी सकल मांग 1,45,000 एमटी के साथ अधिक खपत वाले बाजार में से एक है।

ग. भारत चीन जन. गण. के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से इन निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

घ. चीन के उत्पादकों ने हमेशा ही पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारी मात्रा में भारत को निर्यात किए हैं और इसीलिए भारत हमेशा ही चीन के उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार रहा है।

ड. चीन जन. गण. में अधिक्य आपूर्ति के साथ ही, निर्यात, उत्पादन की खपत में बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। तथापि, भारत द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निर्यातों में ठहराव आया है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने से इन निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

च. चीन जन. गण. में उत्पादकों द्वारा उत्पाद का पाटन किया जा रहा है, जो भारत और अन्य देशों में वर्तमान पाटन मार्जिन से स्पष्ट है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने से चीन के उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को उत्पाद का निर्यात करने की संभावना है।

- xvii. निर्यातकों/आयातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर भी यह स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है। निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर यह दर्शाते हैं, (i) उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट (ii) इन्वेंट्री में वृद्धि (iii) क्षमता में वृद्धि।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के साक्ष्य की गोपनीयता पर प्रश्न किया है न कि घरेलू उद्योग की संभावना के दावों से इंकार किया है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. ऐसे कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जो चीन जन. गण. से सरप्लस क्षमताओं, उत्पादन और निर्यातों को दर्शाते हो।
- ii. याचिकाकर्ता यह प्रमाणित करने में भी विफल रहे हैं कि कैसे अधिक क्षमताएं, यदि कोई है, मौजूद होने से भारत में पाटन होगा।
- iii. बाजार अनुसंधान रिपोर्टों पर निर्भरता के मामले पर सेस्टेट का डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया है। पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त तथ्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्णय के अनुसार इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं। यहां तक कि इसे नियमावली के नियम 6(8) के तहत "सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना" के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा संभावना को दर्शाने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- iv. पाटन और क्षति, दोनों के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना को, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है।
- v. क्षति की पुनरावृत्ति की किसी संभावना की इस तथ्य के आलोक में जांच की जानी चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्ति, यदि कोई हो, वह आयातों के कारण से नहीं होगी बल्कि मांग में कमी के कारण से होगी।
- vi. निर्यातकों/उत्पादकों के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में कमी अपर्याप्त है। यह मांग में वैश्विक गिरावट के कारण से है। इन्वेंट्री में वृद्धि होने का कारण भी यही है।
- vii. भारत को निर्यात की बिक्री में भी लगभग इन सभी के लिए गिरावट आई है। यह भारत में मांग में गिरावट होने के कारण से है। इससे संभावना साबित नहीं होती।
- viii. यह तथ्य कि आयात महत्वपूर्ण मात्रा में हो रहे हैं, क्षति के निर्धारण में इसका कोई संबंध नहीं है। टायर उद्योग शुल्करहित माध्यम से आयात कर रहा है।
- ix. संभावना के बारे में सूचना याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विश्वसनीय साक्ष्यों के बिना अविश्वसनीय है। बाजार की अनुसंधान रिपोर्ट डाई स्टफ मामले में सेस्टेट के निर्णय के अनुसार "सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना" अथवा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। दावे का सत्यापन रिपोर्ट प्रकट हुए बिना संभव नहीं है।
- x. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का तर्क भी रिपोर्ट के आधार पर है और इसीलिए यह भरोसेमंद नहीं है और गलत है।
- xi. याचिकाकर्ता ने आयात के व्यक्तिगत लेनदेनों के संबंध में कोई भी तथ्य प्रदान नहीं किए हैं। भारत एक आकर्षक बाजार होने का तर्क यह दर्शाता है कि आयात की कीमतों में पाटनरोधी शुल्क की समाप्त किए जाने पर गिरावट नहीं होगी।
- xii. अन्य पक्ष के पाटन के संबंध में अनावश्यक गोपनीयता का दावा किया गया है। इसकी गणना उपयुक्त तीसरे देश के रूप में थाईलैंड के साथ नहीं की जा सकती है और केवल एक उत्पादक की बिक्री की कीमत को नहीं माना जा सकता क्योंकि एस आर एफ थाईलैंड ने अधिक लागतों के कारण से एन टी सी एफ उत्पादन को बंद कर दिया।
- xiii. चीन जन. गण. ने भारत को निर्यात करना इसलिए जारी रखा क्योंकि वह अग्रिम लाइसेंस के अधीन है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23, अधिनियम की धारा 9क (v) और नियमावली के अनुबंध-II (viii) के तहत पर्याप्त क्षति की आशंका के संबंध में मापदंडों तथा हितवद्ध पक्षकारों द्वारा सामने लाए गए अन्य संगत कारकों के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं:
95. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमों के तहत, यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता है। इसकी यह जांच करनी भी आवश्यक है कि क्या लगाए गए शुल्क अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं।
96. इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जिनका घरेलू उद्योग पर पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से संबंध हो सकता है। घरेलू पर पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच इस प्रकार है :

i. जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की दर

97. संबद्ध जांच में आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद (क)
चीन से आयात	एमटी	22,184	23,106	23,343	21,804	18,913
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	98	85

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद मामूली गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारत पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन के लिए सर्वोच्च निर्यात का स्थान है।

ii. संबद्ध देशों में सरप्लस क्षमताएं और अतिरिक्त क्षमताओं को समावेशित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की क्षमता

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के अनेक उत्पादकों के उत्पादन, घरेलू बिक्रियां, निर्यात बिक्रियां और क्षमता का उपयोग करने में गिरावट आई है। तथापि, इन उत्पादकों के पास क्षमताओं में परिवर्तन नहीं हुआ है। अनेक निर्यातकों के क्षमता उपयोग में गिरावट होने परिणामस्वरूप अप्रयुक्त क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
100. हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि० ने घरेलू बिक्रियों में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि में अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है।
101. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तरों का विश्लेषण इस प्रकार है :-

कंपनी	जांच की अवधि के दौरान मात्रा				जांच की अवधि में अप्रयुक्त क्षमता		
	उत्पादन एमटी	क्षमता उपयोग-एमटी	घरेलू बिक्री एमटी	निर्यात बिक्री एमटी	%	एमटी	क्षमता
हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि० और निंग्बो जिन्लुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि०	***	***	***	***	***	***	***

शेन्मा इंडस्ट्रीयल	***	***	***	***	***	***	***
हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०	***	***	***	***	***	***	***
हांगझोऊ डिकार्ड	***	***	***	***	***	***	***
जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०	***	***	***	***	***	***	***
कुल	***	***	***	***	***	***	***

102. यह नोट किया जाता है कि :

- निर्यातकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं *** प्रतिशत है, जो भारत में खपत का *** प्रतिशत होता है।
- प्रतिवादी निर्यातकों का निर्यात, क्षमता का *** प्रतिशत होता है, जो निर्यातकों का अति निर्यात अभिमुखी होना दर्शाता है, जो भारत में खपत का प्रतिशत होता है।
- प्रतिवादी निर्यातकों के पास आसानी से निपटाई जाने वाली क्षमता का *** प्रतिशत है, जो भारत में खपत का *** प्रतिशत होता है।

iii. इन्वेंट्री में वृद्धि

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातकों से उत्तर यह दर्शाते हैं कि अनेक प्रतिवादी निर्यातकों के पास इन्वेंट्री में वृद्धि हुई है।

iv. वर्तमान और विगत के पाटन मार्जिन का स्तर

104. मूल, मध्य आवधिक और निर्णायक समीक्षाओं में पाटन के मार्जिन का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, पाटन मार्जिन भी जांच की अवधि के बाद सकारात्मक है।

v. अन्य देश का पाटन और क्षति

105. निम्नलिखित चीन के उत्पादकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संगत प्रश्नावली उत्तर सहित प्रश्नावली उत्तर निर्धारित रूप और ढंग से दाखिल किया है। अतः प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर की जांच की है और इन निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को सामान्य मूल्य से नीचे (अर्थात् पाटित) और क्षतिकारी मूल्य पर (अर्थात् घरेलू उद्योग के एन आई पी से नीचे) निर्यातों की मात्रा का पता लगाया है।

- निंगबो जिन्लुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट
- हुआ'ऐन नायलॉन
- जुन्मा टायर

106. चीन के निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्धारित ढंग और रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संगत प्रश्नावली उत्तर इन कंपनियों द्वारा दाखिल नहीं किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने इन कंपनियों के पास उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है और यह विचार किया है कि अन्य देशों को उनके समग्र निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर है।

- हांगझोऊ डिकार्ड
- हेयांग टेक्नोलॉजी
- शेन्मा डेवलपमेंट
- शेन्मा इंडस्ट्रीयल
- जियांग्सु हाओहुई

107. नीचे दी गई तालिका में इन निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को पाटित, आकर्षक और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यातों की मात्रा दर्शाई गई है।

	भारत को निर्यात	तृतीय देशों को निर्यात	कुल
एन आई पी से नीचे मात्रा	***	***	***
एन आई पी से ऊपर मात्रा	***	***	***
सामान्य मूल्य से नीचे मात्रा	***	***	***
सामान्य मूल्य से ऊपर मात्रा	***	***	***
भारत में मांग	***	***	***
मांग के संबंध में आयात	***	***	***
सामान्य मूल्य (अर्थात् पाटित %) से नीचे मात्रा	***	***	***
एन आई पी से नीचे मात्रा (अर्थात् क्षतिकारी) % में	***	***	***

108. यह नोट किया जाता है कि :

- प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यातों का *** प्रतिशत, जो भारतीय खपत का *** प्रतिशत होता है, सामान्य मूल्य से नीचे अर्थात् पाटित कीमत पर है।
- प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को निर्यातों की कुल मात्रा का *** प्रतिशत, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर अर्थात् क्षतिकारी कीमत पर है।
- प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा निर्यातों की कुल मात्रा का *** प्रतिशत क्षतिकारी कीमत पर अर्थात् घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर है।
- प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा कुल निर्यातों का *** प्रतिशत पाटित कीमतों पर अर्थात् सामान्य मूल्य से नीचे है।
- प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को निर्यातों की कुल मात्रा का *** प्रतिशत पाटित कीमत पर अर्थात् सामान्य मूल्य से नीचे है।

vi. जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण

109. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के निर्धारण के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि के बाद (जुलाई, 2019 से दिसंबर, 2019 तक) के लिए एक विश्लेषण भी किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित नोट किया गया है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद (क)
संस्थापित क्षमता-ग्रीज	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
उत्पादन - ग्रीज	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	108	105	90
क्षमता उपयोग- ग्रीज	%	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	105	91
ब्याज से पूर्व लाभ/हानि	रू./ एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	136	130	46
शामिल पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	135	129	40
इन्वेन्ट्री (औसत)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	134	133	174
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	86	87	86
उत्पाकता	एमटी /दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	107	104	90

110. यह देखा गया है कि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, और निवेश पर प्रतिफल में जांच की अवधि के बाद आगे गिरावट आई है और इन्वेन्ट्री के स्तर में वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के बाद महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ट. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

111. प्राधिकारी ने यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में प्रमाणित सूचना/डाटा को अपनाया गया है। घरेलू उद्योग के एन आई पी की गणना की गई है और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ तुलना करने के लिए इस पर विचार किया गया है। एन आई पी के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटी के साथ भी किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में ईष्टतम उत्पादन की गणना के लिए बेहतर क्षमता उपयोग पर विचार किया गया है और उसी उत्पादन पर प्रति इकाई निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय शामिल नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत शामिल पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसम्पत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22% की दर से प्री-टैक्स) की अनुमति प्री-टैक्स लाभ के रूप में प्रदान की गई थी, ताकि अनुबंध-III में यथा निर्धारित और अनुसरण की जा रही एन आई पी निकाली जा सके। इस प्रकार से निर्धारित की गई गैर-क्षतिकारी कीमत की संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है, ताकि क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सके।
112. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारी कीमत की संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षति मार्जिन दर्शाया गया :-

निर्यातक का नाम	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	यू एस डॉलर/एमटी	यू एस डॉलर/एमटी	यू एस डॉलर/एमटी	%	रेंज
मै० ह्यांग टेक्नोलॉजी कंपनी लि०	***	***	***	***	नकारात्मक

निर्यातक का नाम	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी लि०	***	***	***	***	नकारात्मक
हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी लि०	***	***	***	***	नकारात्मक
मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल चीन जन. गण.	***	***	***	***	नकारात्मक
जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०	***	***	***	***	नकारात्मक

113. चूंकि समग्र क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया था। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का पता लगाने के लिए एन आई पी से नीचे के निर्यातों की मात्रा और एन आई पी से ऊपर के निर्यातों की मात्रा का पता लगाया है। यह देखा गया है कि आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी से कम कीमत पर थी।

निर्यातक का नाम	एनआईपी से नीचे मात्रा	एनआईपी से ऊपर मात्रा
हेयांग टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***
हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी	***	***
निंग्बो जिन्लुन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी	***	***
शेन्मा इंडस्ट्रीयल	***	***
जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी लि०	***	***
कुल मात्राएं	***	***
चीन से गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों	***	***
भारत में आयात की कुल मात्रा	***	***
भारतीय खपत	***	***
खपत के संबंध में एन आई पी से कम के आयातों की मात्रा	***	***

पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

114. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में, निरपेक्ष दृष्टि से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है। इन आयातों से न तो जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी और न ही घरेलू उद्योग घरेलू बिक्री कीमतों पर किसी मंदी/ दमन के प्रभाव का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, लाभों, नकदी लाभों तथा निवेश पर प्रतिफल जैसे विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान अवधि के दौरान, मौजूदा क्षति का सामना नहीं किया है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की एक स्पष्ट संभावना है जिनमें अप्रयुक्त क्षमताएं *** प्रतिशत (भारत में खपत का *** प्रतिशत शामिल है), निर्यातों में क्षमता का *** प्रतिशत (भारत में खपत का *** प्रतिशत शामिल है),

प्रतिवादी निर्यातकों के पास *** प्रतिशत की आसानी से निपटान योग्य क्षमताएं (भारत में खपत *** प्रतिशत शामिल है) शामिल है। चीन के उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों में संस्थापित क्षमताओं का एक अल्प हिस्सा *** प्रतिशत शामिल है। प्रतिवादी निर्यातकों ने अनेक अन्य देशों को अपने उत्पादन का करीब *** प्रतिशत निर्यात किया है, उनमें से अधिकांश निर्यात, चीन में सामान्य मूल्य और भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और एन आई पी से कम कीमत पर थे। निर्यातों का *** प्रतिशत हिस्सा (भारतीय खपत का *** प्रतिशत शामिल है) पाटित कीमत पर, निर्यातों का *** प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर, अर्थात् क्षतिकारी कीमत पर था। अनेक प्रतिवादी निर्यातकों की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है। ऐसी सरप्लस क्षमताओं के कारण, वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार से, ये सभी मापदंड यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से संबद्ध देश में निर्यातकों द्वारा भारत में पाटित कीमतों पर उत्पादों के निर्यातों में तेजी आने की संभावना है, जांच की अवधि के बाद उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आई है और वस्तुसूचियों के स्तर में वृद्धि हुई है।

ठ. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

115. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों और पुनः किए गए अनुरोधों की जांच की है, जिनकी पहले ही समुचित जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में उपयुक्त रूप से शामिल किए जा चुके हैं। ये मामले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत पाया गया है, जिनकी नीचे दिए गए अनुसार जांच की गई है :-

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

116. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण विवरण के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- सामान्य मूल्य के लिए घरेलू उद्योग के दावे को अस्वीकार करने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग के दावे के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा दिए गए औचित्य अपर्याप्त और अनुचित हैं। प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए थाईलैंड अथवा ताइवान से भारत के लिए कीमतों पर विचार कर सकते हैं।
- सामान्य मूल्य उत्पादन की सामान्य लागत पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत में भुगतान योग्य कीमत, जो लाभों के लिए विधिवत समायोजित की गई है, में तर्कसंगत लाभों के साथ उत्पादन की लागत शामिल है। अनुबंध- I में उत्पादन की वास्तविक लागत निर्धारित की गई है, न कि सामान्य लागत पर। घरेलू उद्योग में कोई भी अक्षमता नहीं है और यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि घरेलू उद्योग अक्षम है और विदेशी उत्पादक समर्थ हैं।
- सामान्य मूल्य की गणना नायलॉन 66 आधारित एन टी सी एफ के लिए अलग से की जानी चाहिए क्योंकि (क) नायलॉन 66 फैब्रिक और नायलॉन 6 फैब्रिक के बीच एक महत्वपूर्ण कीमत संबंधी अंतर है। (ख) एस आर एफ के गुम्मीडीपूंडी संयंत्र के लिए एन आई पी पर नायलॉन 66 फैब्रिक के लिए सी एन वी हेतु विचार किए जाने की जरूरत है। (ग) यदि पृथक सामान्य मूल्य अनावश्यक पाया जाता है तो यह अनुरोध है कि इसकी गणना एस आर एफ लिमिटेड के डाटा के आधार पर की जाए क्योंकि इसका उत्पाद मिश्रण विदेशी उत्पादकों के उत्पाद से मिलता-जुलता है।
- वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि मामले पर निर्णय क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर किया जाता है, अतः शुल्क को संशोधित करना उपयुक्त नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में इस सिद्धांत को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ में अहमदाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। नियम 17 (2) भी सिद्धांत का

समर्थन करता है। जब कोई क्षति नहीं है, तो क्षति मार्जिन के निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की पुष्टि की जाए।

- v. घरेलू उद्योग द्वारा निदिष्ट प्राधिकारी की विगत की प्रथा के अनुसार और शुल्क के बेंचमार्क रूप की विफलता के अनुसार अमेरिकी डॉलर में शुल्क के निर्धारित रूप की सिफारिश करने का अनुरोध किया जाता है। निदिष्ट प्राधिकारी ने विगत जांच में भी शुल्क के एक निर्धारित रूप की सिफारिश की थी।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

117. प्रकटीकरण विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को यहां पुनः प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार हैं :-

- क. (i) मै० हांगझोऊ दिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक कं. लि०, और (ii) मै० शेन्मा इंडस्ट्रीयल चाइना के खिलाफ जांच को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
- ख. घरेलू उद्योग के साथ पात्रता की जांच के प्रयोजन के लिए, मै० सेंचुरी एंका द्वारा किए गए निर्यातों का संबद्ध देश अर्थात् चीन जन. गण. से आयातों के संबंध में विश्लेषण किया जाना चाहिए न कि समग्र आयातों या मांग का।
- ग. प्राधिकारी को देश में प्रचलित उत्पाद की कुल मांग में सम्मिलित कुल उत्पादन और सभी घरेलू उत्पादकों की समस्त बिक्रियों को क्षति तथा विश्लेषण की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री को प्रकट करना चाहिए।
- घ. प्रौद्योगिकीय विकास के कारण, भारत में उत्पाद की मांग में कमी आई है और इसीलिए याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मापदंडों में मामूली गिरावट प्रौद्योगिकी में ऐसे विकास होने के कारण से है।
- ड. निर्यातकों के पास आसानी से निपटान योग्य क्षमताओं और सरप्लस क्षमताओं की जांच का विश्लेषण अन्य निर्यात बाजारों की मौजूदगी को देखते हुए किया जाना चाहिए ताकि उसे समाहित किया जा सके।
- च. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि चीन के निर्यातकों को भारत में एक बाजार मिलेगा, विशेषकर जब, उनकी कीमतें याचिकाकर्ताओं की बिक्री कीमतों से अधिक हों। यह नहीं माना जा सकता कि उनकी इन्वेंट्री भारत में घरेलू बाजार को पाटन देगी, खासकर जब मांग में कमी हो रही है।
- छ. जब तक प्राधिकारी यह नहीं जांच कर लेते कि क्या अन्य निर्यात बाजार मौजूद हैं, जो चीन के उत्पादकों के पास सरप्लस क्षमताओं और इन्वेंट्री को समाहित करने में सक्षम हैं, तब तक कोई भी क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- ज. किसी दिए गए बाजार में व्यापार का अंतरण होने का, उस देश में घरेलू उद्योग के एन आई पी के साथ कोई संबंध नहीं है। अन्यथा हर तीसरा देश, जिसके घरेलू उद्योग का भारतीय उद्योग से अधिक एन आई पी है, संबद्ध देशों के लिए निर्यात के लिए अधिक आकर्षक बाजार होगा। भारत के लिए मौजूदा बाजारों से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के व्यापार अंतरण को सहारा लेने के लिए निर्यातकों और उत्पादकों के लिए, भारत में लाई गई कीमत क्षमता, तीसरे देशों में लाई गई कीमत क्षमता से पर्याप्त रूप से अधिक होनी चाहिए। बाजार का साइज बड़ा होना चाहिए और उससे आगे विकास के लिए संभावना भी होनी चाहिए क्योंकि बाजार की आकर्षकता का आकलन करने पर ये दो बुनियादी कारक होते हैं।
- झ. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए कीमत संबंधी प्रभाव का विश्लेषण न होने पर, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण अन्य कारकों का होना है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी वार्षिक रिपोर्टों में स्वीकार किया गया है, अर्थात् प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों

और रेडियल टायरों की ओर रुख बदलने के कारण मांग में कमी आई है, जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कम ध्यान दिया गया है।

- ज. चूंकि पहली निर्णायक समीक्षा में चीन जन. गण. से आयातों से के कारण भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग को कोई भारी क्षति नहीं हुई है। डी जी टी आर में समग्र घरेलू उद्योग के लिए (जो इस मामले में तीन संस्थाएं शामिल हैं) क्षति पर विचार करना चाहिए न कि घरेलू उद्योग के व्यक्तिगत घटकों के लिए।
- ट. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की पद्धति को पुनः देखना और नायलॉन 66 एन टी सी एफ को एक अलग श्रेणी मानकर पृथक पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की गणना करना।
- ठ. एन आई पी और सामान्य मूल्य से कम आयातों को पृथक करने से (1) जीरोइंग होगा, जो प्रतिबंधित है (2) उपयुक्त नहीं है, जब कच्ची सामग्री की कीमतों और तैयार वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव हो रहा हो।
- ड. विगत कई जांचों में पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया गया है, जबकि शुल्क 10 वर्षों से भी अधिक समय से लागू था, शुल्क ने अपना प्रयोजन पूरा किया है और डी जी टी आर को विधिवत विस्तार जांच के बाद शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए।
- ण. चीन के उत्पादक अधिकतम क्षमता के साथ प्रचालन कर रहे हैं। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो भारत को निर्यातों का कोई अंतरण होने की संभावना नहीं है। चीन से अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को निर्यातों से अधिक कीमत पर है। ढ. जांच की अवधि के उपरांत और जांच की अवधि से पूर्व घरेलू उद्योग काफी लाभ अर्जित कर रहा है।
- त. जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद कोई भी पाटन नहीं हो रहा है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118. चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त देश के रूप में थाइलैंड पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के दावे का संबंध है, प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने चीन के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में थाइलैंड का चयन करने के लिए पर्याप्त कारण/ सूचना प्रदान नहीं की है।
119. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सच्चाई कि पाटन मार्जिन और / अथवा क्षति मार्जिन जांच की अवधि में नकारात्मक है, अपने आप में यह अर्थ रखती है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के तहत बाध्यता पर विचार करते हुए, प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश करना अपेक्षित है, जहां पर कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और दुबारा क्षति होने की संभावना है।
120. यह स्पष्ट किया जाता है कि बिड़ला टायर्स द्वारा किए गए आयात चीन से आयातों और भारतीय उत्पादन तथा खपत पर विचार करते हुए नगण्य है। यह भी नोट किया जाता है कि ए टी एम ए और बिड़ला टायर ने असहयोग किया है और बिड़ला टायर्स द्वारा किए गए आयातों के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी ने बिड़ला टायर्स द्वारा किए गए आयातों का पता लगाने के लिए डी जी सी आई एंड एस और डी जी सिस्टम से सूचना प्राप्त की है।
121. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार करके, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में सकल मांग प्रकट की है।
122. जहां तक रेडियल टायर्स के उपयोग में वृद्धि होने के कारण उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आने का दावा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग 1,45,771 मी. टन थी, जब कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता क्षेत्र में *** मी. टन थी। इसके अलावा, मांग में गिरावट, एक ऐसी स्थिति में ही

संगत होगी जहां पर घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है। तथापि, ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है, यह समस्या प्रासंगिक नहीं है

123. प्राधिकारी ने चीन से किए जा रहे वर्तमान निर्यातों पर विचार करने के बाद सरप्लस क्षमताओं की जांच की है। प्राधिकारी ने क्षमता और घरेलू बिक्रियों के बीच एक अंतर के रूप में सरप्लस क्षमता निर्धारित नहीं की है। सरप्लस क्षमता और घरेलू बिक्रियों के बीच अंतर के रूप में (घरेलू और निर्यात बिक्रियां) सरप्लस क्षमता निर्धारित की गई है। इसके अलावा, चीन से संभव व्यापार अंतरण की जांच, केवल तीसरे देशों को ऐसे निर्यातों पर विचार कर की गई है, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कारण नहीं प्रदान किया है कि क्यों तीसरे देश के कम कीमत के निर्यातों को, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को अंतर्गिरित नहीं किया जाएगा।
124. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक कीमत पर तीसरे देश को निर्यातों पर विचार नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि अनेक प्रतिवादी उत्पादकों ने असहयोग किया है और उन्होंने निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान नहीं की है। व्यापार अंतरण अथवा कीमत आकर्षकता का निर्धारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है, जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है और घरेलू उद्योग के एन आई पी के आधार पर है :-

	भारत को निर्यात	तीसरे देश को निर्यात	कुल
घरेलू उद्योग की औसत कीमत से कम मात्रा	***	***	***
घरेलू उद्योग की औसत कीमत से अधिक मात्रा	***	***	***
कुल निर्यात मात्रा	***	***	***

125. भारत में संभावित व्यापार अंतरण के लिए आवश्यकता के रूप में महत्वपूर्ण रूप से बड़े बाजार की मौजूदगी के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि चीन के निर्यातक तीसरे देशों को भारतीय कीमतों से कम कीमत पर *** मी. टन आयात कर रहे हैं और इसीलिए भारत में इन कम कीमत के तीसरे देशों के निर्यातों को अंतर्गिरित करने के लिए चीन के उत्पादकों को आकर्षित करने के लिए 1,45,771 मी. टन की भारतीय मांग पर्याप्त रूप से बड़ी है। वास्तव में, चीन के किसी भी उत्पादक ने यह तर्क नहीं दिया है कि वे भारतीय बाजार में, अपने तीसरे देश के कम कीमत के निर्यातों के अंतर्गिरित नहीं करेंगे।
126. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को परिभाषित घरेलू उद्योग के आधार पर निर्धारित किए जाने की संभावना है।
127. जहां तक चीन के उत्पादकों और घरेलू उद्योग का, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 फैब्रिक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पृथक निर्धारण करने के लिए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इनमें से किसी भी पक्षकार ने जांच प्रारंभ करने की अवस्था में, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 की पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन से पृथक तुलना करने की मांग नहीं की है। इसके अलावा, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि दोनों की अलग-अलग पहचान से अलग-अलग डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन को बढ़ावा मिलेगा।
128. प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि आयातों का पाटित और अपाटित, क्षति और गैर- क्षति, आकर्षक और गैर-आकर्षक में पृथक्करण का मतलब लोपन (जीरोइंग) नहीं है। यह केवल ऐसे आयातों की मात्रा को दर्शाता है जो शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारतीय बाजार में अंतर्गिरित होने की संभावना है और ऐसी मात्रा, जो संभावना के विश्लेषण के लिए संगत है। ऐसी स्थिति में, जहां चीन के उत्पादकों ने विभिन्न देशों को सामूहिक रूप से *** मी. टन निर्यात किया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तीसरे देशों को निर्यात, जो भारत को निर्यात की कीमत से अधिक कीमत

पर थे, भारत को अंतरित होने की संभावना नहीं है। यह केवल मात्रा है, जो भारत में बिक्री कीमत और एन आई पी से कम कीमत पर है, जिनके भारत को अंतरित होने की संभावना है। इसके अलावा, यह मात्रा भी केवल पाटित कीमत तक संगत है। यदि यह मात्रा अपाटित कीमत पर है तो यह पुनः, पाटन की संभावना को स्थापित नहीं करती है। अतः प्राधिकारी ने शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के प्रयोजन से समग्र तीसरे देश के निर्यातों का विश्लेषण किया है।

129. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संबंध है, किसी भी पक्षकार ने, जांच की अवधि के दौरान एक संगत मापदंड के रूप में कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बारे में नहीं कहा है। ये पक्षकार भारत और अंतरिक्ष विश्लेषण के लिए सहमत हैं।
130. जहां तक ऐसी अवधि का संबंध है, जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क की अवधि धारा 9 क (5) के तहत असंगत है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित है।
131. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चीन के उत्पादक अधिकतम क्षमता पर प्रचालन कर रहे हैं और व्यापार अंतरण की कोई संभावना नहीं है, यह ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकारी ने वास्तविक क्षमता के उपयोग के आधार पर निर्धारण किया है, जिसकी सूचना प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दी जा चुकी है। इसके अलावा, व्यापार अंतरण विश्लेषण, विभिन्न देशों को निर्यात की मात्रा और कीमत के आधार पर है।
132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का, जांच की अवधि के बाद लाभ और निवेश पर प्रतिफल बिल्कुल कम है और इसीलिए यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद भारी लाभ कमाया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

क. भारतीय उद्योग के हित

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाने से संबद्ध देश/परिक्षेत्र से आयातों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
134. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित किए गए उत्पाद के कीमत के स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, खासतौर पर यदि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा तक सीमित किया जाता है तो पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी।

ख. निष्कर्ष

135. उपरोक्त जांच परिणामों में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष रखे गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
 - क. घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है लेकिन पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के लिए संभावना बनी रहती है।
 - ख. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को इस समय समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/ उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ग. सिफारिशें

136. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित कर दिया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

137. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क को जारी रखने की जरूरत है।
138. इन परिस्थितियों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त समझते हैं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी उन विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए शुल्क की व्यक्तिगत दर की सिफारिश नहीं करते, जिन्हें मूल जांच में शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान की गई थी लेकिन संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अलावा, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में सहकारी उत्पादक जिन्होंने पहले की जांच में भाग नहीं लिया है, उन्हें पहले की जांच में सहकारी उत्पादकों/ निर्यातकों को दिए गए शुल्क की व्यक्तिगत दर प्रदान की गई है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका के कोलम 7 में बताई गई राशि के बराबर निश्चित एंटी-डॉपिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक माना है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5902.10	नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	ह्यांग टेक्नोलॉजी कंपनी, लि०	520	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	हांगझोऊ डिकाई इंडस्ट्रीयल फैब्रिक्स कंपनी, लि०	520	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	हुआयेन नायलॉन केमिकल फाइबर कंपनी, लि०	520	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
4	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	शेन्मा इंडस्ट्रीयल कंपनी, लि०	520	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
5	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	जुन्मा टायर कोर्ड कंपनी, लिमिटेड	520	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
6	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित अन्य कोई देश	क्र. सं. 1 से 5 के अलावा कोई अन्य	1100	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर
7	- वही -	- वही -	चीन. जन. गण. के अलावा अन्य कोई देश	चीन. जन. गण.	कोई	1100	प्रति मी. टन	यूएस डॉलर

टिप्पणी : उपरोक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के तहत किया जाएगा। उपरोक्त विचाराधीन उत्पाद किसी अन्य एच एस कोड के तहत आयात किए जाने के बाद भी उपरोक्त पाटनरोधी शुल्क के अधीन ही होगा।

घ. आगे की प्रक्रिया

139. इन जांच परिणामों के कारण केंद्रीय सरकार के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2020

FINAL FINDINGS**Case No-SSR-10/2019****Subject : Sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of ‘Nylon Tyre Cord Fabric’ originating in or exported from China PR.**

F. No. 7/22/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an anti-dumping investigation in respect of imports of “Nylon Tyre Cord Fabric” (hereinafter also referred to as “NTCF” or the “subject goods” or “PUC” or “Product Under Consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) on 29th October 2003 and definitive anti-dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 14/20/2003-DGAD dated 9th March, 2005. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 36/2005-Customs dated 27th April 2005. Thereafter, a Sunset Review (SSR) investigation was initiated by the Authority in respect of imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Notification No 14/20/2008-DGAD dated 16th September 2008. The Authority vide Final Findings Notification No. 14/20/2008-DGAD dated 31st March 2009 concluded that the expiry of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury and recommended continued imposition of the anti-dumping duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, The Central Government vide its Notification No. 41/2009-Customs dated 29th April, 2009 imposed anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. Thereafter, second sunset review investigation was initiated, and the Authority recommended continuation of duties vide Notification No. 15/13/2013-DGAD dated 13th April, 2015 and the same was imposed by the Central Government vide Notification No. 30/2015-Customs (ADD) dated 12th June, 2015.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“...any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

4. Association of Synthetic Fibre Industry, on behalf of its members, M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. (hereinafter referred to as 'applicants' or 'domestic industry') filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

5. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/22/2019-DGTR (SSR No. 10/2019) dated 21st November, 2019 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

6. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 15/2020-Customs (ADD) dated 10th June, 2020 extended the Anti-dumping duties till 11th December, 2020.

7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
- ii. The Authority issued a Notification dated 21st November 2019, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject country, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a. Ningbo Nylon Co Limited
 - b. Junma Tyre Cord Co Limited
 - c. Qingdao Lianchuang Stock Company Ltd.
 - d. Qingzhou Heli Chemistry Fibre Co., Ltd.
 - e. Shandong Baorun (Holding) Co., Ltd.
 - f. Baling Petrochemicals
 - g. Zhangjiagang Ruiqi Cord Fabric Co. Ltd.
 - h. Shandong Anda Synthetic Fiber Products Co., Ltd.
 - i. Weifang Great Dragon Chemical Fibre Co. Ltd./ Shandong Polytex
 - j. Jiangsu Qunfa Chemical Co. Ltd.
 - k. Taizhou Chemical Fibres Company
 - l. Shandong Hualian Group Co Ltd.
 - m. Jiangsu Haiyang Chemical Fibres Co Ltd.
 - n. Wujiang Dingzhen Textile Co Ltd.
 - o. Shandong Hualian Group Co Ltd.
 - p. Weifang Senyu Trading Co Ltd.
 - q. Jiangsu Steel
 - r. Shandong Hesheng Chemical Weaving Co Ltd.
 - s. Shandong Shouguang Ruihua Non-Woven Fabrics Co Ltd.
 - t. Achin Webbing & String (Shanghai) Co., Ltd.
- vii. The following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire response:
- a. Junma tyre cord company limited
 - b. Huai'an Nylon Chemical Fibre Co.,Ltd
 - c. Nigbo Jinlun import & export co ltd
 - d. Nigbo Nylon co ltd
 - e. Haiyang Technology co ltd.
 - f. Jiangsu Tongxin chemical fibre co ltd
 - g. Jiangsu Haohui Trading co ltd
 - h. Pingdingshan shenma nylon tyre cord fabrics Development co ltd.
 - i. Shenma industries co ltd.
 - j. Hangzhou Maguli cord co Ltd.

- k. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics co Ltd.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Balkrishna Industries Ltd.,
 - b. Apollo Tyres Ltd.,
 - c. Falcon Tyres Ltd.,
 - d. Birla Tyres
 - e. Goodyear India Ltd.
 - f. TVS Srichakra Ltd.
 - g. JK Tyres & Industries Ltd.
 - h. CEAT Ltd.
 - i. MRF Ltd.,
 - j. Madura Industrial Textile Ltd.
 - k. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
- ix. The following importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format:
 - a. CEAT Limited
 - b. JK Tyre & Industries Ltd.
 - c. MRF Ltd.
 - d. TVS Srichakra Ltd.
- x. M/s Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA), also filed letter for participation, in response to the Initiation notification.
- xi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Whenever they requested inspection of public file and copies of the documents therefrom were provided with the same.
- xiv. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation has been considered from

1st July 2018 to 30th June 2019 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and April 2018 to March 2019 and POI. The Authority has also considered July 2019-December 2019 as the Post-POI for the purposes of a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury analysis.

- xv. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 11th September, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this disclosure statement on the basis of the facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 23rd October, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings
- xxii. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 71.54.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The product under consideration for the purpose of present investigation is Nylon Tyre Cord fabric (NTCF) The subject good is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two-wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animals driven vehicles etc. Nylon Tyre Cord fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" and also "Dipped fabric". These are only two different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is consuming both grey and dipped fabric. All types of NTCF

are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, Custom subheading no. 5902.10.00 of the Customs Tariff Act.”

C.1 Views of the Domestic Industry

10. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:

- i. Present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original as well as previously conducted investigations. Further, no significant development has taken place over the period. Therefore, domestic industry refers to and relies upon the previous investigation with regard to product under consideration and like article. The domestic industry is producing the like article to the product under consideration.
- ii. The domestic industry is manufacturing Nylon 66 grade NTCF and therefore it should not be excluded from the product scope.

C.2 Views of the other interested parties

11. Following submission have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

- i. In the last three investigations, the Authority has classified the PUC into Nylon Greige and Nylon Dipped. But product under consideration has one more grade, namely Nylon 66 grade.
- ii. During earlier investigations, Nylon 66 was not exported and hence, the question of its exclusion never arose.
- iii. Nylon 66 grade of NFY is not produced by the Domestic Industry therefore it should be excluded from the scope of product under consideration.
- iv. Nylon 66 based NTCF is more expensive than Nylon 6 based NTCF. Same trend is seen in its export prices too.
- v. PUC may be maintained as in original investigation subject to exceptions introduced on case made out by other interested parties

C.3 Examination by the Authority

12. The product under consideration in the original investigation, previous sunset review as well as in the present sunset review is Nylon Tyre Cord fabric. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under:

“The product under consideration in the present petition is Nylon Tyre Cord fabric (NTCF) originating in or exported from China PR. The subject good is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two-wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animal driven vehicles etc.

Nylon Tyre Cord fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" and also "Dipped fabric". These are only different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is buying both grey and dipped fabric. All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, Custom subheading no. 5902.10.00 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”

13. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and

tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry were treated as like article to the product under consideration imported from subject country.

14. With regard to the exclusion of Nylon 66 based NTCF, Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it produces Nylon 66 based NTCF. Since the domestic industry is manufacturing Nylon 66 based NTCF, it cannot be excluded.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

15. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

D.1 Views of the Domestic Industry

16. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
- i. The Application for initiation of Sunset Review investigation has been filed by Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI), on behalf of Indian industry manufacturing NTCF. SRF Ltd and Century Enka Ltd have provided all relevant information with regard to the present investigations.
 - ii. SRF Ltd and Century Enka Ltd have not imported the subject goods.
 - iii. SRF Ltd is not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the dumped article within the meaning of Rule 2(b).
 - iv. Century Enka Ltd. was related to an importer namely Birla Tyres who is a regular importer of the product under consideration. Century Enka is not related to Birla Tyres as on date. While the Chairman of the two companies was common earlier, till 3rd July, 2019, there is no common director between the two companies. Further, the company has been buying from all domestic producers and foreign producers. The two companies operate totally independently, and the purchase- sale is not impacted by alleged relationship.
 - v. Since the two companies operate independently, the applicant is not aware of the volume of imports of product under consideration by Birla Tyres.

D.2 Views of other interested parties

17. Other interested parties have made following submissions with regard to the standing and scope of the domestic industry:
- i. Century Enka cannot be considered within the scope of Domestic Industry.
 - ii. Century Enka is related to a regular importer of the subject goods viz. Birla Tyres. during the POI. Therefore, the standing of the Domestic Industry should be reassessed by discounting the production of Century Enka.
 - iii. The Petitioners have not disclosed the point of time when they ceased to be related entities.

- iv. All imports made by Birla Tyres should be removed while considering the volume and price effect as well as market share of imports for a fair analysis

D.3 Examination by the Authority

18. The Application in the present case has been filed by the Association of Synthetic Fibre Industry, on behalf of its members. M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. (hereinafter also referred to as applicant companies), accounting for ***% of total Indian production. These applicant companies have provided relevant information as per the prescribed format. The Authority notes that M/s Madura Industrial Textiles Limited also manufactures the like article in India. However, M/s Madura Industrial Textiles Limited has neither supported nor opposed the present investigation. The Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods. Further, the present investigation is a sunset review investigation.
19. As regards the eligibility of Century Enka, the domestic industry contended that Century Enka Ltd. was related to a user (Birla Tyres) who is an importer of the product under consideration during period of investigation. The domestic industry has further contended that the said relationship does not exist as on date or even at the time of initiation. While contending that Century Enka should not be treated as eligible domestic industry, the Authority notes that none of these interested parties has provided any information with regard to volume of imports by Birla Tyres. Birla Tyres has not filed questionnaire response and has preferred not to cooperate with the Designated Authority in the present investigation. Even though ATMA has been participating in the present investigation and Birla Tyres is its member, ATMA has also not provided any information with regard to volume of imports by Birla Tyres. The Authority therefore examined DG Systems data and found that there were very low volume of imports by Birla Tyres. The Authority holds that small volume of imports by the company in any case should not disentitle them from being treated as domestic industry under the Rules, even if the two are related within the meaning of the Rules during the POI or even thereafter.
20. Considering the information on record, the Authority holds that the production of the applicant companies, i.e. M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. accounts for a major proportion in the domestic production of the like article and the applicants are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions by the domestic industry

21. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality –
 - i. The responding exporters and producers have claimed excessive confidentiality in blatant disregard of the guidelines issued by the Designated Authority vide trade notice 10/2018 dated 7th September 2018.
 - ii. In the present case, most of the responding interested parties have failed to furnish an appropriate and meaningful non-confidential summary.
 - iii. Incorrect indexation has been done in the non-confidential summary by the responding exporters wherein they have considered POI figures as 100 and done the indexation of the injury period.
 - iv. The information kept confidential by the interested parties form an essential part of the questionnaire response. Due to lack of such vital information, the domestic industry is unable to offer any comment to protect their interests.
 - v. Excessive and unreasonable confidentiality claims amount to lack of opportunity to an interested

party for defending its interests, thereby hampering the investigation process.

- vi. The Authority is requested to disregard these responses and issue the findings accordingly.
- vii. The domestic industry has claimed confidentiality as per Trade Notice 10/2018 and has provided indexation as per the practice of Designated Authority.

E.2. Submissions by other interested parties

22. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality-

- i. Petitioners have claimed excessive confidentiality.
- ii. Non-confidential Version (NCV) of the petition does not allow reasonable understanding of the allegations and it violates Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
- iii. Significant data provided in the petition is not properly indexed or provided in the NCV.
- iv. Costing information is completely missing and no confidentiality reasoning has been provided.
- v. Petitioners have claimed that information on likelihood is confidential despite it being only market research reports.
- vi. The information cannot be claimed confidential as it is not business proprietary and is available for sale to the public.
- vii. Under the Copyright Act, no authorization is required for reproduction of copyrighted work in the course of judicial proceedings.
- viii. Rule 6(7) requires the Authority to make available evidence presented to it by one interested party to all others. Hon'ble Supreme Court decision in the matter of Reliance Industries v. Designated Authority is relevant in this regard.
- ix. Third country dumping margin of China PR cannot be business proprietary information.
- x. Methodology for price undercutting has not been explained by the Petitioners. Price undercutting is held confidential.
- xi. A non-confidential summary or quantity of imports undercutting domestic prices and the range of price undercutting should be provided.
- xii. Even if some Indian producers have not joined as petitioners, actual aggregate data for performance parameters should be provided as per Trade Notice 10/2018.
- xiii. DI has not disclosed purchase, sales and cost accounting policies, quality control procedures and tests

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

24. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties.
25. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

26. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Responses filed by the producers/exporters show some glaring contradictions. This raises doubt on the accuracy and adequacy of the data supplied therein and therefore Authority is requested to reject these responses.
 - ii. As per the Part II of the Exporter Questionnaire response filed by Shenma Industries Co. Ltd, it does not plan to expand or add the production of PUC in the future. However, the 2018 Financial Statement evidences allocation of funds for construction in progress.
 - iii. Both Jiangsu Tongxin Chemical Fibre Co. Ltd. and Jiangsu Haohui Trading Co. Ltd. have responded in the current investigation and have filed requisite exporter's questionnaire responses. Jiangsu Tongxin Chemical Fibre Co. Ltd., under its response to Section A - Question 2 in Part I of the Exporter Questionnaire states “*Haiyang Technology Co., Ltd is the only shareholder of Tongxin Chemical Fibres. And Haiyang Technology is not related to any other company engaged in production and sale of the product under investigation.*” Whereas, Jiangsu Haohui Trading Co. Ltd. under its response to the same question in its Exporter Questionnaire states has disclosed that it is a wholly owned subsidiary of Haiyang Technology Co. Ltd. as well.
 - iv. The Authority should reject incomplete responses filed by the exporters.

F.2. Submissions by other interested parties

27. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
 - i. The anti-dumping duty imposed since 2005 has served its purpose.
 - ii. The authority is requested not to recommend anti-dumping duty in the present investigation. Reliance is placed on cases of Nylon Filament Yarn, Dry Cell Batteries and Viscose Filament Yarn wherein the authority had either declined to initiate or terminate SSR investigation due to lack of injury or likelihood of injury.

- iii. A bare perusal of the initiation notice does not reveal the basis on which the authority came to the satisfaction that the review is required to be initiated, which is required as per the Delhi High Court's decision in *Kesoram Rayon Vs DA*.
- iv. Information provided by petitioners is insufficient for initiation under Rule 5(3). Allegations set out in the petition are based on estimates and assumptions. The *WTO Panel Reports in the United States - Softwood Lumber, Guatemala - Cement II, and Mexico - Steel Pipes and Tubes* are relied upon.
- v. Complete EQR has been filed. In case any information is demanded by the Authority, the same will be provided.

F.3 Examination by the Authority

28. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
- i. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and antidumping duty extended. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
 - ii. With regard to the submissions of interested parties regarding adequacy and accuracy of the application, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Normal Value

29. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along*
with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2 Submissions by the domestic industry

30. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - ii. In the present investigation none of the responding producers/ exporters have filed response to the Market Economy Treatment questionnaire.
 - iii. The Designated Authority is requested to determine the normal value based on prices in the market economy third country for all the responding producers/ exporters.
 - iv. The domestic industry considers that Thailand is appropriate third country for determination of normal value.
 - v. The applicants have calculated normal value on the basis of domestic selling prices of one of the affiliates of the applicant company namely SRF Industries (Thailand) Ltd.
 - vi. Alternately the normal value can be calculated on the basis of import price from Thailand or Taiwan to India.
 - vii. Para 7 of Annexure 1 of the AD Rules clearly provides for hierarchy in the options available for determination of normal value. Authority cannot construct the normal value before ascertaining that there is no evidence available regarding price or constructed value in the market economy third country or price from that third country to other country including India.
 - viii. Export price is calculated after making various adjustments based on market information and general experience and considering most conservative estimates.
 - ix. Dumping margin calculated for the subject country is positive and significant.

G.3. Submissions by other interested parties

31. The submissions made by other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. With regard to calculation of normal value, no evidence has been provided to show that Thailand is a major producer/exporter and has significant import of the PUC for comparability of Thailand to China PR.
 - ii. Macro-economic indicators show Thailand is not comparable to China PR.
 - iii. The Authority in previous sunset review has noted that Thailand is not an appropriate third country.
 - iv. The Authority has accepted prices from Thailand to India without considering whether it is “appropriate” by comparing the level of development. EU decision in Grunwald Logistik Service GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Stadt is relied upon.
 - v. Authority is requested to direct domestic industry to show how Thailand is an appropriate third country before dumping margin is calculated.
 - vi. Even if Thailand is an appropriate third country, the price payable in the market economy third country as a whole should be taken and not only one Thailand producer into consideration.

- vii. Petitioners have not indicated if prices of SRF Industries (Thailand) Ltd. are at the point of sale are of producers or traders, whether they are at ex-factory level or otherwise, what is the credit period involved and the terms of trade.
- viii. Adjustments on export price are abnormally high and unsubstantiated.
- ix. The Authority should not use “surrogate country” methodology after 11 Dec 2016. Interpretation of Articles 15(a) and 15(b) of the Protocol in the Appellate Body Report in the EC - Fasteners supports the same.
- x. Authority is requested to consider that post 11 Dec 2016, India has no legal basis to use NME methodology against China PR. It is requested that MET be granted and Normal Value be calculated as per Article 2 of the AD Agreement and at least, apply data on costs and prices provided by the company.
- xi. Even if price of a third country to India is taken, the “appropriateness” test shall be the same.
- xii. Construction of NV not as per sec 9A(1)(c) of CTA and EP is inflated.
- xiii. Export price should be based on verified information of cooperating exporters and NV on selling price in Thailand or import prices from Thailand/Taiwan to India.
- xiv. Dumping in post-POI cannot be used until post-POI information is sought from producers and exporters

G.4. Examination by the Authority

32. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. Junma tyre cord company limited
 - ii. Huai'an Nylon Chemical Fibre Co.,Ltd
 - iii. Nigbo Jinlun import & export Co.,Ltd
 - iv. Nigbo Nylon Co.,Ltd
 - v. Haiyang Technology Co.,Ltd.
 - vi. Jiangsu Tongxin chemical fibre Co.,Ltd
 - vii. Jiangsu Haohui Trading co Ltd.
 - viii. Pingdingshan shenma nylon tyre cord fabrics Development Co.,Ltd.
 - ix. Shenma industries Co.,Ltd
 - x. Hangzhou Maguli cord Co.,Ltd
 - xi. Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co.,Ltd

Market Economy status for China PR

33. Article 15 of China PR's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

34. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a) (ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR have submitted market economy treatment/ supplementary questionnaire response. The Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value.

G 4.1 Normal Value determination for all producers/exporters from China PR

35. None of the producers from China PR have co-operated in the present investigation and provided any information for rebutting the non-market treatment as per Para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules. Therefore, the presumption of non-market economy as per Para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules remains un-rebutted. The Authority, therefore, has determined the Normal value in accordance with Para 7 of Annexure I to the AD Rules.
36. The Authority explored the option of construction of normal value as per the hierarchy laid down in Para 7 of Annexure-I to the Rules which provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis,

including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

37. The Authority notes various submissions of the interested parties with regard to appropriateness of price in Thailand. Considering the past determination made on the product under consideration, and submissions made by the interested parties, the Authority considers it appropriate not to determine normal value based on cost or price in Thailand.
38. The Authority has, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative in addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below
39. The Normal Value so determined for POI by the Authority is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2 Export Price

M/s Haiyang Technology Co., Ltd., (Producer/ Exporter) China PR

40. The Authority notes that M/s Haiyang Technology Co., Ltd., China PR has responded in the form and manner prescribed and has furnished the requisite information to determine the net export price. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Haiyang Technology Co., Ltd, China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd., (Producer/Exporter)

41. The Authority notes that M/s Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd., China PR has responded in the form and manner prescribed and has furnished the requisite information to determine the net export price. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd, China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

M/s Ningbo Jinlun Import & Export Co., Ltd., (Exporter) China PR Processed/Produced by M/s Huaian Nylon Chemical Fibre Co., Ltd (Processor/Producer), China PR

42. M/s Ningbo Jinlun Import & Export Co., Ltd has exported the subject goods produced by Huaian Nylon Chemical Fibre Co during POI to India. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit costs and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Huaian Nylon Chemical Fibre Co, China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below

M/s Shenma Industrial Co Ltd (Producer/ Exporter) China PR

43. M/s Shenma Industrial Co Ltd has exported the product under consideration directly to the customers, during POI to India. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expense, and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Shenma Industrial, China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below

Junma Tyre Cord Company Limited

44. The Authority notes that M/s Junma Tyre Cord Company Limited, China PR has responded in the form and manners prescribed and has furnished the requisite information to determine the net export price. Adjustments have been made on account of ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Junma Tyre Cord Company Limited, China PR has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price in respect of Non-Cooperative Exporters/Producers

45. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from the subject country; the Authority has determined export price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of "any other producer/exporter" from China.

G.4.3 Dumping Margin

46. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below.

SN	Producer	Export Volume	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin%	Range
		MT	US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	%
1.	M/s Haiyang Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	***	0-20
2.	Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.	***	***	***	***	***	Negative
3.	Huaian Nylon Chemical Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	***	0-20
4.	M/s Shenma Industrial China PR	***	***	***	***	***	Negative
5.	Junma Tyre Cord Company Limited,	***	***	***	***	***	0-20
6.	Non-Cooperative	***	***	***	***	***	0-20

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

47. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
48. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

49. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s SRF Ltd. and M/s Century Enka Ltd. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, the cost and injury information of the Applicants, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), have been examined.

H.1 Submissions by the domestic industry

50. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below:
- i. While conducting review investigation, the Designated Authority is required to consider the extent to which any improvement in the performance of the domestic industry is on account of the anti-dumping duties in force and whether the domestic industry is vulnerable to the injury if the existing duties are allowed to expire.
 - ii. In a situation where the performance of the domestic industry has improved, an examination with regard to the likelihood of injury to the domestic industry in the event of expiry of the antidumping duties in force is required to be conducted.
 - iii. The domestic industry has not claimed injury in the present period of investigation.
 - iv. The dumping from subject country has continued despite anti-dumping duty in existence.
 - v. The current situation of the domestic industry is already extremely fragile.
 - vi. Demand of the subject goods have increased since base year. However, the demand declined slightly during period of investigation due to slowdown faced by auto industry.
 - vii. Imports from subject country increased till 2018-19 and declined thereafter during the period of investigation. The imports are only under duty free category since neither ADD nor basic customs duty applies in case of imports under advance license.
 - viii. Authority is requested to kindly apply applicable customs duty while considering injury analysis.
 - ix. There have been significant fluctuations in the import prices at the same time.
 - x. With such fluctuations in the import price, the domestic industry requests the Authority to kindly undertake transaction wise likelihood analysis and seek date of order from the responding exporters.
 - xi. Price undercutting and injury margin should be determined only considering those import transactions whose landed price of imports is below selling price of the domestic industry. WTO Report in the matter of *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil* is relied upon.
 - xii. Principle applied in WTO Report in the matter of *European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil*, for calculating price undercutting also applies on calculation of injury margin.
 - xiii. Domestic industry's concern is against injurious imports and not against non-injurious imports.
 - xiv. Reference is also made to the Hon'ble Tribunal's order in the matter of *Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority* which allowed considering only import transactions below NIP to calculate injury margin. Import transactions above NIP should not be considered to calculate injury margin.

- xv. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has declined in the Post POI
- xvi. In the Post POI, the selling price of the domestic industry has declined more than decline in costs due to decline in import price. The imports are depressing the prices of the domestic industry.
- xvii. The profits, cash profits, and PBIT has declined significantly during Post POI.
- xviii. The Return on investments have declined in Post POI to such an extent that the ROI is in a single digit.
- xix. The injury margin is positive towards the end of period of investigation and in the post period of investigation.
- xx. There is no requirement of establishing causal link in a sunset review investigation. In this connection, the domestic industry invites the attention of the Authority to the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R dated 2 November 2005).
- xxi. The period of investigation in the present case is July 2018 to June, 2019 therefore reliance on the annual report of 2019-20 cannot be placed as it is majorly beyond period of investigation.
- xxii. There is likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

H.2 Submissions by other interested parties

51. The submissions of other interested parties with regard to injury and causal link are reproduced herein below:
- i. There exists evidentiary shortcomings in support of domestic industry's claim for dumping, injury, causal link, and likelihood.
 - ii. No material injury has been suffered by domestic industry as the conditions in para (ii) and (iv) of Annexure II are not met.
 - iii. All subject imports are made through advance license and the Petitioners and other Indian producers have a virtual monopoly.
 - iv. Imports from other countries are low compared to the domestic market. In relation to production and consumption, subject imports have declined.
 - v. The domestic industry has not faced volume effect in previous review investigation as well.
 - vi. Domestic industry has shown improvement in Sales, Capacity, Production and Capacity Utilisation. Ability to raise capital investment has also not been affected.
 - vii. Decline in market share of domestic industry, Profitability, Cash flow and Return on Investment is due to decline in demand and increased market share of other Indian producers and imports from other countries.
 - viii. The position of inventory is also reflective of the contraction in demand and inter-se competition between the domestic producers.
 - ix. Employment, Wages and Productivity have improved and dependent on other factors.
 - x. There is no price undercutting in the POI.

- xi. It is DGTR's practice to determine price undercutting covering all transactions on a weighted average basis.
- xii. Domestic selling prices provided in Proforma IV-B and in Format H are different.
- xiii. Even if transaction wise price undercutting is calculated, domestic industry's selling prices must also be considered on a transaction to transaction basis which are similar in point of time to the imports being compared. Fair comparison should be ensured. Panel report in *Korea-Pneumatic Valves* is relied on wherein the Panel has held that it must be explained how individual instances of price undercutting affected the domestic like product prices as a whole.
- xiv. While making such a comparison to determine the potential of price suppression and depression due to such transactions, it should be ensured that the transactions being compared are proximate enough in time to the transactions to the sales by the Domestic Industry. Volumes should be similar and prices should be adjusted to ensure fair comparison.
- xv. Consistent DGTR practice to allow allows 22% ROCE does not show reasonableness.
- xvi. Authority is requested to take actual profit margin when there was no allegation of dumping for calculating reasonable return. The CESTAT decision in *Hyosung Corporation v. DA* decision of *Practice in EU: In EFMA v. Council* is relied upon.
- xvii. Claim on recurrence of injury to the domestic industry is baseless as price undercutting has been negative despite subject goods being imported under advance license.
- xviii. The Appellate Body decision in Oil Country Tubular Goods from Mexico is distinguishable and inapplicable in the Indian context in view of Rule 23 of the AD Rules.
- xix. Causal link analysis as provided in Rule 11(2) becomes applicable. It is further reiterated in Para V of Annexure II. Para I (ii) of Annexure II also requires the same. Guwahati High Court decision in *Century Plyboards v. Union of India* is relied upon.
- xx. The existence or threat of recurrence of both dumping and injury are required so as to continue the anti-dumping duty as per section 9A (5) of Customs Tariffs Act.
- xxi. The Authority must consider injury for the domestic industry as a whole and not for individual constituents of the domestic industry.
- xxii. It has been DGTR's practice to calculate price undertaking with all transactions.
- xxiii. A fair comparison for price undercutting analysis should be ensured. Panel Report in *Korea-Pneumatic Valves* is relied upon. No reference of the decision was made by the petitioner in written statement though it was stated in the oral hearing that the same would be explained. Even if such an analysis is carried out, it does not show potential price suppression/depression unless a deeper analysis is undertaken.
- xxiv. The CESTAT decision in *Kothari Sugars*, relied on by the petitioners, did not consider the decision in *Korea-Pneumatic Valves* and thus, should be disregarded.
- xxv. "Date of sale" is generally the "date of invoice". Assertion by petitioners seeking "date of order" must be rejected.
- xxvi. Post-POI fragile condition of DI is due to contraction in demand as revealed in the Annual Reports 19-20 of DI.
- xxvii. No claim of post-POI price undercutting is made. Claim on price depression/ suppression in post-POI is baseless as imports are under advance license and do not compete with DI.

- xxviii. Price underselling cannot be considered in SSR. Gujarat HC decision in Nirma v. UOI is relied upon. Also, price underselling in post-POI cannot be considered without determining dumping which is not possible without producer/exporter data.

H.3. Examination by the Authority

52. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
53. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
54. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
55. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1 ASSESSMENT OF DEMAND

56. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian Producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	106	109	105
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	108	150	148
Imports from China PR - Subject Country	MT	22,184	23,106	23,343	21,804
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	105	98
Imports from other countries	MT	24,400	23,568	28,733	29,656
Trend	<i>Indexed</i>	100	97	118	122
Total Demand in India	MT	1,29,998	1,35,517	1,49,326	1,45,771
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	115	112
Market Share in Demand					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	102	95	94

Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	130	132
China PR - Subject Country	%	17.07	17.05	15.63	14.96
Trend	Indexed	100	100	92	88
Other Countries	%	18.77	17.39	19.24	20.34
Trend	Indexed	100	93	103	108
Total Demand	%	100.00	100.00	100.00	100.00

57. The Authority notes that the demand of the subject goods has increased till 2018-19 and declined thereafter in POI.

H.3.2 VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

i. Import Volume and share of subject country

58. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows: –

Import Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from China PR	MT	22,184	23,106	23,343	21,804
Imports from other countries	MT	24,400	23,568	28,733	29,656
Total Import Volume	MT	46,585	46,673	52,077	51,460
Subject Country Imports in relation to					
Imports	%	47.62%	49.50%	44.82%	42.37%
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	98	94
Consumption	%	17.07%	17.05%	15.63%	14.96%
Trend	Indexed	100	100	92	88

59. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration from subject country increased till 2018-19 and declined thereafter in the POI. Imports from China PR declined in the POI in absolute terms as also in relation to gross imports, consumption and production in the country over the injury period.

H.3.3 PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

60. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price undercutting

61. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject country and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Price Undercutting – China	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed price of imports without ADD	Rs/MT	197,427	237,994	306,275	305,542
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	(0-10)	(0-10)

62. It is noted that price undercutting on overall basis was positive till 2017-18 and became negative in the POI.

ii. **Price Suppression / Depression**

63. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	109	120	119
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	109	122	120
Landed Price from subject country	Rs/MT	1,97,427	2,37,994	3,06,275	3,05,542
Trend	<i>Indexed</i>	100	121	155	155

64. It is seen that the cost of sales increased by 19% in the POI as compared to base year whereas the applicants have been able to increase the selling price by 20% during the same period. Therefore, imports have not caused any suppressing effect on the domestic selling price.

iii. **Price underselling**

65. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

Particulars	UOM	Greige	Dipped	Average
Import Volume	MT	1,005	20,799	21,804
Non-Injurious Price (NIP)	US\$/MT	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	3,876	4,290	4,271
Price Underselling	US\$/MT	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
Price Underselling	%, Range	Negative	Negative	Negative

66. From a comparison of the weighted average landed price of imports with the non-injurious price of the domestic industry, it is noted that the price underselling is negative.

H.3.4. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

67. Annexure – II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

68. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Installed Capacity-Greige	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	100	100	100
Production Quantity – Greige	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	108	105
Capacity Utilization-Greige	%	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	108	105
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	106	109	105
Domestic Sales - Greige	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	107	110	111
Domestic Sales - Dipped	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	106	109	103

69. It is noted from the above table that –

- The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- The production and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2018-19 but decreased during the POI.
- Domestic sales of the product under consideration has increased till 2018-19 but decreased during the POI

b. Market Share of Domestic Industry in Demand

70. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below: –

	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	102	95	94
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	130	132
China PR	%	17.07	17.05	15.63	14.96
Trend	<i>Indexed</i>	100	100	92	88
Other Countries	%	18.77	17.39	19.24	20.34
Trend	<i>Indexed</i>	100	93	103	108
Total Demand	%	100.00	100.00	100.00	100.00

71. It is noted that the market share of the domestic industry has increased till 2017-18 but declined thereafter.

c. Inventories

72. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Inventory – Average	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	127	134	133

73. The Authority further notes that the average inventory level of the domestic industry has shown increasing trend till 2018-19 and thereafter marginally declined during period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

74. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	109	120	119
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	109	122	120
Profit before tax	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	109	139	131
Total Profit before Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	115	152	138
Total Profit before interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	113	148	137
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	113	144	132

Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>135</i>	<i>129</i>

75. It is noted from the above that the profitability, cash profits and return on investments of the domestic industry have all risen consistently before declining in POI.

e. Employment, wages and productivity

76. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was as below –

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>86</i>	<i>87</i>
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>107</i>	<i>104</i>
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>125</i>	<i>120</i>
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>105</i>

77. It is seen that the employment levels of the Domestic Industry has fluctuated over the injury period. The productivity per employee, productivity per day and wages have all shown improvement over the injury period before declining in POI.

f. Growth

78. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	2.97	4.26	(2.73)
Domestic Sales Volume	%	-	6.09	2.82	(3.61)
Cost of sales domestic	%	-	9.16	10.17	(0.82)
Selling price domestic	%	-	9.12	11.82	(1.34)
Profit/Loss domestic	%	-	8.81	28.09	(5.75)
Average stock	%	-	26.79	5.64	(0.54)

79. It is noted that the growth of domestic industry was positive till 2018-19. Growth however became negative in the POI in all the parameters.

g. Factors affecting domestic prices

80. The selling prices of the domestic industry have not been affected by dumped imports from the subject country during POI.

h. Ability to raise fresh Investment

81. The Authority notes that the domestic industry has the ability to raise fresh investments.

Observations on injury

82. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that there has been decrease in the volume of dumped imports of the subject goods, in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Imports were neither undercutting the domestic prices in the POI, nor was the domestic industry suffering any suppressing / depressing effect on the domestic selling prices. Overall performance of the domestic industry improved in respect of various economic parameters such as production, capacity utilization, domestic sales, profits, cash profits and ROI.

I. CAUSAL LINK

83. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country:

84. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from third countries in the POI is at higher price.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

85. The demand of the subject goods has increased as compared to base year. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c. Export performance

86. Applicants have exported the subject goods. However, they have claimed likelihood of injury in the domestic operations. Applicants have provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, likelihood of injury considered cannot be attributed to exports.

d. Development of Technology:

87. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

e. Performance of other products of the company.

88. The Authority notes that no submission has been made by any of the interested parties to the effect that the performance of other products being produced and sold by the applicants is a possible cause of injury to the domestic industry.

f. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers:

89. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

g. Productivity of the domestic industry

90. The Authority notes that no submissions have been made by either the domestic industry or any of the interested parties regarding possible injury to the domestic industry on account of productivity of the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

91. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

J.1. Submissions by the domestic industry

92. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury –

- i. Producers in subject country maintain huge capacities to the extent of 431,000MT. As against this capacity, the domestic consumption is in the region of 2,00,000 MT. The current export volumes from China PR is 82,500 MT. Evidently, the Chinese producers are holding significant surplus capacities.
- ii. The technology used in the major downstream product, i.e. Tyre, has seen a wholesome change, which has altered the demand for the product under consideration outside India.
- iii. Major developed countries have shifted usage from bias-ply tyres to radial tyres. Consequently, the product under consideration has been rendered of no use outside India due to the change in technology.
- iv. Further due to the shift from bias-ply tyres to radial tyres outside India, the global demand for the product under consideration has seen a considerable decline.
- v. Therefore, due to the closure of markets globally, in the event of cessation of anti-dumping duty, there is a likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry.
- vi. Given the significant price difference between different transactions, it is evident that Chinese producer will be able to sell the product at a price below domestic industry prices and utilise their production capacities. This would additionally be feasible for them as the same will result in increase in their capacity utilisation.
- vii. The Chinese exporters/producers have a very high export orientation for the product under consideration. Due to oversupply in China PR, the exports have been taking a big share in the consumption of the production.
- viii. The exporters in the subject country are having significant unutilized capacities of 106,000 MT, which can easily cater the entire demand in India.
- ix. Producers/exporters in subject country are having freely disposable production capacities of 188,500MT.
- x. Due to the adjustment of product structure in tyre sector with focus changing from bias-ply tyre to radial tyre, the subject goods industry in China PR has been suffering from stagnation and overcapacity.
- xi. The Demand for the product under consideration has also been declining over the past years. Moreover, due to the oversupply, exports are now the major source of revenue of the Chinese exporters.
- xii. The exporters from the subject country are not only dumping in India, but they are also dumping in other countries.
- xiii. India is one of the high consumption market with gross demand of 1,45,000 MT. India is the largest export market for China PR. In the event of cessation of anti-dumping duty, these

exports are likely to further increase. The Chinese producers have always exported to India in huge quantities despite anti-dumping duty.

- xiv. Current volume remained low only because of ADD.
- xv. Reliance placed on CESTAT decision in the matter of *Dye Stuff Manufacturers Association Of India Versus Govt. Of India* is not applicable on the facts of present case.
- xvi. Following are the factors which establish that India is the most lucrative market for the Chinese exporters and in the event of cessation of anti-dumping duty, the exports are likely to increase at dumped prices in India from China PR.
 - a) While the world is faced with sluggish demand, Indian demand has been increasing. The major NTCF producing countries are faced with change in technology and therefore the exporters are likely to increase their exports to a country like India where there is increase in demand and the gross demand is so high.
 - b) India is one of the high consumption market with gross demand of 1,45,000 MT.
 - c) India is the largest export market for China PR. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exports are likely to further increase.
 - d) The Chinese producers have always exported to India in huge quantities despite anti-dumping duty and therefore, India has always been a lucrative market for the Chinese producers.
 - e) With over-supply in China PR, exports have been taking major share in the consumption of production. However, with anti-dumping duty imposed by India, the exports have stagnated. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exports are likely to increase.
 - f) The producers in China PR are dumping the product which is evident from current dumping margins in India and third countries. In the event of cessation of anti-dumping duty, the Chinese exporters are likely to export the product to India at dumped prices.
- xvii. The questionnaire responses filed by exporters/producers also clearly establish that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. Responses filed by the exporters show (1) decline in production, sales and capacity utilization (b) increase in inventories (c) capacity additions.
- xviii. The other interested parties have questioned the confidentiality of the evidence of likelihood and not refuted the claims of likelihood of the domestic industry.

J.2. Submissions by other interested parties

93. Following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- i. There is no reliable evidence to show surplus capacities, production and exports from China PR.
 - ii. Petitioners have also failed to establish how the existence of excess capacities, if any, will lead to dumping in India.
 - iii. On the issue of reliance on market research reports, the CESTAT decision in *Dye Stuff Manufacturers Association Of India Versus Govt. Of India* is relied on. Facts derived from journals cannot be relied upon as it is no evidence at all as per the decision. The same cannot even be used as “best information available” as per Rule 6(8). No other evidence has been submitted by domestic industry to show likelihood.
 - iv. Likelihood of continuation or recurrence of both dumping and injury are required to be satisfied for the continuation of the ADD.

- v. Any likelihood of recurrence of injury shall be examined in light of the fact that such recurrence, if any, would be not because of imports but because of contraction in demand.
- vi. Reduction in production, capacity utilization and domestic sales of exporters/producers is insignificant. This is due to global decline in demand. Same is the reason for increase in inventories.
- vii. Export sales to India have also declined for almost all of them. This is due to decline in demand in India. This does not establish likelihood.
- viii. The fact that imports are significant has no relevance in determining injury. Tyre industry is importing through duty-free channel.
- ix. Information on likelihood is unreliable without reliable evidence provided by petitioners. Market research report is not credible evidence or “best available information” as per CESTAT decision in Dye Stuff case. Verification of claim is not possible without disclosure of report.
- x. Argument on change in technology is also based on the report and hence, not credible and incorrect.
- xi. Petitioner has not provided any facts on individual transactions of import. India as a lucrative market argument indicates that import prices won’t decline on cessation of ADD.
- xii. Unwarranted confidentiality has been claimed on third party dumping. Same cannot be calculated with Thailand as appropriate third country and selling price of just one producer cannot be taken as SRF Thailand shut down NTCF production due to high costs.
- xiii. China PR continues to export to India because it is under advance license.

J.3. Examination by the Authority

- 94. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under.
- 95. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, it is required to be determined whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose.
- 96. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry is as follows:

i. Rate of increase in imports during the period of investigation

- 97. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	Post-POI (A)
Imports from China	MT	22,184	23,106	23,343	21,804	18,913
Trend	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>105</i>	<i>98</i>	<i>85</i>

- 98. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration have increased till 2018-19 but declined slightly in POI and in Post POI. The domestic industry contended that India is the top export destination for China despite anti-dumping duty in force.

ii. Surplus capacities in subject country and ability of other export markets to absorb additional capacities

99. The Authority notes that production, domestic sales, export sales and capacity utilization of a number of Chinese producers has declined. The capacities with these producers have however remained unchanged. Decline in capacity utilization of a number of exporters has resulted in increase in unutilized capacities.
100. Huai'an Nylon Chemical Fibre Co., Ltd has enhanced its capacities in the injury period, despite declining domestic sales.
101. Analysis of the questionnaire responses filed by the responding exporters shows as follows.

Company	Volumes during POI				Unutilised capacity in POI		Capacity
	Production MT	Capacity utilisation - MT	Domestic sales MT	Export sales MT	%	MT	
Huaian Nylon Chemical Fibre Co., Ltd and Ningbo Jinlun Import & Export Co., Ltd.	***	***	***	***	***	***	***
Shenma Industrial	***	***	***	***	***	***	***
Haiyang Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	***	***	***
Hangzhou Dikai	***	***	***	***	***	***	***
Junma Tyre Cord Company Limited	***	***	***	***	***	***	***
Total	***	***	***	***	***	***	***

102. It is noted that

- i. The unutilized capacities with the exporters is to the extent of ***, constituting ***% of consumption in India.
- ii. The exports of the responding exporters constitute ***% of the capacity which shows high export orientation of the exporters, constituting ***% of consumption in India.
- iii. The responding exporters have ***% of the freely disposable capacities constituting ***% of consumption in India.

iii. Increase in Inventories

103. The Authority notes that the responses from the exporters show that the inventories with a number of responding exporters have increased.

iv. Level of current and past dumping margin

104. The level of dumping margin in the original, mid-term and sunset reviews is significant. Further, the dumping margin is also positive in the Post POI period.

v. Third country dumping and injury

105. Following Chinese producers have filed questionnaire response in the form and manner prescribed, including questionnaire response relevant for sunset review investigation. Therefore, the Authority has examined the questionnaire response and ascertained the volume of exports by these exporters to third countries at prices below normal value (i.e., dumped) and injurious (i.e., below NIP of the domestic industry).

- i. Ningbo Jinlun Import & Export
- ii. Huai'an Nylon
- iii. Junma Tyre

106. The following Chinese producers have not filed questionnaire response in the form and manner prescribed. The questionnaire response relevant for sunset review investigation has not been filed by these companies. Therefore, the Authority has applied facts available to these companies and considered that their entirety of third countries exports are at dumped and injurious prices.

- i. Hangzhou Dikai
- ii. Haiyang Technology
- iii. Shenma Development
- iv. Shenma Industrial
- v. Jiangsu Haohui

107. The table below shows volume of exports by these exporters to third countries at dumped, attractive and injurious prices.

	Exports to India	Exports to Third country	Total
Volumes below NIP	***	***	***
Volume above NIP	***	***	***
Volumes below normal value	***	***	***
Volume above normal value	***	***	***
Demand in India	***	***	***
Imports in relation to demand	***	***	***
Volume below normal value (i.e., dumped) in %	***	***	***
Volume below NIP (i.e., injurious) in %	***	***	***

108. It is noted that

- i. ***% of the exports by responding exporters to India, constituting ***% of Indian consumption are at price below normal value, i.e., at dumped price;
- ii. ***% of the total volumes of exports by responding exporters to Third countries are at price below non injurious price of the domestic industry, i.e., at injurious price;
- iii. ***% of the total volumes of exports by the responding exporters are at injurious price, i.e. at a price below non injurious price of the domestic industry.

- iv. ***% of the total exports by responding exporters are at dumped prices, i.e., below normal value.
- v. ***% of the total volumes of exports by responding exporters to Third countries are at dumped price, i.e., below normal value.

vi. Post-POI Analysis

109. The Authority has also conducted an analysis for the Post-POI (July 2019 to Dec 2019) for the purposes of determining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following is noted with regard to the same:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	Post POI (A)
Installed Capacity-Greige	MT	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	100	100	100	100
Production - Greige	MT	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	104	108	105	90
Capacity Utilisation - Greige	%	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	105	108	105	91
Profit/Loss before Interest	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	107	136	130	46
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	108	135	129	40
Inventory (Average)	MT	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	127	134	133	174
Employment	No	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	101	86	87	86
Productivity	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	<i>Indexed</i>	100	103	107	104	90

110. It is seen that production, sales, capacity utilization, profits, and ROI declined further during Post POI and the level of inventories have increased. It is thus seen that the performance of the domestic industry declined significantly in the post POI.

K. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

111. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. The optimum production in POI has been calculated considering the best capacity utilization and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. No

extraordinary or non-recurring expenses have been charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed price of imports from the subject country to determine the injury margin.

112. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject country shows following injury margin during POI.

Name of Exporter	NIP	Landed value	Injury margin	Injury margin	Injury margin
	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
M/s Haiyang Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
Huaian Nylon Chemical Fibre Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
M/s Shenma Industrial China PR	***	***	***	***	Negative
Junma Tyre Cord Company Limited	***	***	***	***	Negative

113. Since the overall injury margin was found negative, the Authority ascertained the volume of exports below NIP and the volume of exports above NIP to ascertain the likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty. It is seen that significant volume of imports were at a price below NIP for the domestic industry.

Name of Exporter	Volume below NIP	Volume above NIP
Haiyang Technology Co.,	***	***
Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co.,	***	***
Ningbo Jinlun Import & Export Co.,	***	***
Shenma Industrial	***	***
Junma Tyre Cord Company Limited	***	***
Total volumes	***	***
Non cooperative producers/exporters from China	***	***
Total volumes import into India	***	***
Indian consumption	***	***
Volume of imports below NIP in relation to consumption	***	***

Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

114. The evidences on record show that there has been decrease in the volume of dumped imports of the subject goods, in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Imports were neither undercutting the domestic prices in the POI, nor was the domestic industry suffering any suppressing / depressing effect on the domestic selling prices. Overall performance of the domestic industry improved in respect of various economic parameters such as production, capacity utilization, domestic sales, profits, cash profits and ROI. The domestic industry has not suffered current injury

during the present period. However, it is seen that there is a likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. The information on record shows that there are significant surplus capacities in China to the extent that unutilized capacities are to the tune of ****% (constituting ****% of consumption in India), the exports constitutes ****% of the capacity (constituting ****% of consumption in India), responding exporters have ****% of the capacities freely disposable capacities (constituting ****% of consumption in India). Domestic sales of the Chinese producers constitute a meagre ****% of installed capacities. The responding exporters exported about ****% of their production to a number of third countries, majority of which was at a price below normal value in China and selling price & NIP of the domestic industry in India. ****% of the exports (constituting ****% of Indian consumption) were at a price below normal value, i.e., at dumped price; ****% of the exports were at price below non injurious price of the domestic industry, i.e., at injurious price. The inventories with a number of responding exporters have increased. Surplus capacities are likely to result in increase of exports at dumped prices in the event of expiry of present duties. Production, sales, capacity utilization, profits, and ROI declined significantly in Post POI and the level of inventories increased. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject country are likely to intensify export of the product in India at dumped prices, leading to injury to the Domestic Industry.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

115. Post- disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

L.1 Submissions made by the domestic industry

116. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as follows

- i. No reasoning is provided for rejection of Di's claim of normal value. The reasons given by other parties against the DI's claim are insufficient and inappropriate. The Authority may consider prices from Thailand or Taiwan to India for determination of NV.
- ii. The NV should not be based on normated cost of production because Price payable in India duly adjusted for profits implies cost of production with reasonable profits. Annexure I prescribe actual cost of production and not normated one. There is no inefficiency within the DI and there should not be a presumption that DI is inefficient and foreign producers are efficient.
- iii. NV should be calculated separately for Nylon 66 based NTCF because (a) there is a significant price difference between Nylon 66 fabric and Nylon 6 fabric. (b) NIP for SRF's Gummidipoondi Plant is required to be considered for CNV for Nylon 66 fabric. (c) If separate normal values are found unnecessary, it is requested that the same be calculated based on data of SRF Limited as its product mix matches with that of foreign producers.
- iv. Existing ADD is requested to be continued since the case is decided on likelihood of recurrence of injury, it is not appropriate to modify the duty. The DA has applied this principle in the past. Additionally, Ahmedabad HC decision in Nirma Limited v. UoI is relied on. Rule 17(2) also supports the principle. When there is no injury, there is no requirement of determining the injury margin and hence the same quantum of ADD be confirmed.
- v. A fixed form of duty in USD is requested to be recommended by the DI as per past practice of the DA and the failure of the benchmark form of duty. The Designated Authority in the previous investigation also recommended a fixed form of duty.

L.2 Submissions made by other interested parties

117. The submissions of other interested parties on disclosure statement are reproduced herein below
- a. The investigation should be terminated against (i) M/s Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co. Ltd., and (ii) M/s Shenma Industrial China as the dumping margin is negative.
 - b. For the purpose of examining eligibility vis-à-vis Domestic Industry, the imports made by M/s Century Enka must be analysed in relation to imports from the subject country i.e. China PR and not overall imports or demand.
 - c. The Authority must disclose the total demand of the product prevailing in the country, combined total production and sales of all domestic producers as a whole and price underselling during the injury analysis period.
 - d. Due to technological developments, the demand of the product has contracted in India and therefore, the marginal decline in the economic parameters of the Petitioners are attributable to such developments in technology.
 - e. The examination of surplus and freely disposable capacities with exporters must be analysed keeping in view the existence of other export markets to absorb the same.
 - f. It cannot be assumed that Chinese exports will find a market in India, especially when their prices are higher than the selling price of the Petitioners. It cannot be assumed that these inventories will be offloaded into the domestic market in India, especially in view of the contraction in demand.
 - g. Unless the Authority examines whether other export markets exist which are capable of absorbing the surplus capacities and inventories with Chinese producers, no adverse conclusion ought to be drawn in view of the abovesaid facts regarding likelihood of recurrence of injury.
 - h. Trade diversion to a given market has no nexus with the NIP of the Domestic Industry in that country. Otherwise, every third country whose Domestic Industry has a higher NIP than the Indian Industry would be a more attractive market for the subject country to export to. For the exporters and producers to resort to trade diversion of low-priced subject goods from their existing markets to India, the price capable of being fetched in India must be substantially higher than the price fetched in third countries. The market size should be large enough and must also have potential for further growth as these are two basic factors when evaluating market attractiveness.
 - i. In the absence of a price effect analysis for the Post-POI period, it must be assumed that the adverse impact on the economic parameters of the Petitioners is as a result of the 'other factors' which have been admitted by the Petitioners in their Annual Reports i.e. contraction in demand due to technological changes and shift to radial tyres which has been underscored by the interested parties.
 - j. Since the very first sunset review, imports from China PR have not caused any material injury to the Domestic Industry of the subject goods in India. The DGTR must consider injury for the domestic industry as a whole (which in this case comprise of three entities) and not for individual constituents of the domestic industry.
 - k. Revisit the methodology of dumping margin and injury margin and make separate dumping margin and injury margin calculation by considering Nylon 66 NTCF as a separate category.

- l. Segregation of imports below NIP and normal value (1) amounts to zeroing which is prohibited (2) not appropriate when the raw material prices and the finished goods prices are fluctuated significantly.
- m. The anti-dumping duty has been terminated in the past several investigations when duty was in force more than 10 years, duty has served its purpose and DGTR should extend the duty after due care.
- n. Chinese producers are operating at the maximum capacity. There is no possibility of any shift of exports to India in case of existing anti-dumping duty is ceased. Exports of subject goods from China to other countries is at higher prices than exports to India.
- o. In the post POI as well as pre POI the domestic industry has been making bumper profits.
- p. There is no dumping in the period of investigation and post period of investigation.

L.3 Examination of the Authority

118. With regard to the claim of the domestic industry to consider Thailand as the appropriate country to determine the Normal Value for China, the Authority is of the view that the applicant domestic industry has not provided sufficient reasons/information for the selection of Thailand as the appropriate market economy country for China, the subject country.
119. Since the present investigation is a sunset review investigation, the authority notes that the fact that dumping margin and/or injury margin is negative in POI does not imply that the ADD should be allowed to cease. Being a sunset review and considering the obligation under Section 9A(5) read with Rule 23, the authority is required to recommend extension of ADD in a situation where dumping and injury is likely to recur in the event of cessation of ADD.
120. It is clarified that imports made by Birla Tyres are negligible considering imports from China, and Indian production and consumption. It is also noted that ATMA and Birla Tyre have preferred non-cooperation in as much as no information has been provided in respect of imports made by Birla Tyre. The authority has accessed information from DGCI&S and DG Systems to ascertain imports made by Birla Tyres.
121. Considering the arguments of the interested parties, the authority has disclosed gross demand in the present findings.
122. As regards claim of decline in demand for the product due to increase in use of radial tyres, the authority notes that the demand for the product during POI was 1,45,771 MT as against installed capacity of domestic industry in the region of *** MT. Further, decline in demand could have been relevant only in a situation where the domestic industry has suffered injury. However, in a situation where domestic industry has not suffered injury, this issue is not relevant.
123. The authority has examined surplus capacities after considering current exports being made from China. The authority has not determined surplus capacity as a difference between capacity and domestic sales. Surplus capacity has been determined as the difference between capacity and sales (domestic and export sales). Further, possible trade diversion from China has been examined considering only those exports to third countries which were at a price lower than the selling price of the domestic industry. No interested party has provided any cogent reason why third country low priced exports will not be diverted to India in the event of cessation of ADD.
124. The authority has not considered third country exports at a price higher than selling price of the domestic industry. It is also noted that a number of responding producers have preferred non-cooperation and have not provided relevant information in the form and manner prescribed. Trade

diversion or price attractiveness has been determined based on selling price of the domestic industry, as can be seen from the table below and based on NIP of the domestic industry.

	Exports to India	Exports to Third country	Total
Volumes below DI Average Price	***	***	***
Volumes above DI Average Price	***	***	***
Total Export Volume	***	***	***

125. As regards existence of significantly large market in India as a requirement for possible trade diversion, it is noted that Chinese exporters are exporting ***MT to third countries at price below Indian prices and therefore Indian demand of 1,45,771 MT is significantly large enough to attract Chinese producers to divert these low priced third countries exports to India. In fact, none of the Chinese producers have contended that they will not divert their third country low priced exports to Indian market.
126. The authority considers that the likelihood of injury to the domestic industry is required to be determined based on the defined domestic industry. However, information with regard to domestic producers has also been considered for relevant parameters.
127. As regards contention of the Chinese producers and the domestic industry for separate determination of dumping margin and injury margin for nylon 6 and nylon 66 fabric, authority notes that none of these parties demanded at the stage of initiation, a separate comparison of nylon 6 and nylon 66 for the purpose of dumping margin and injury margin determination. Further, it has not been demonstrated that separate identification of the two would have led to significantly different dumping margin and injury margin.
128. The authority considers that segregation of imports into dumped and un-dumped, injurious and non-injurious, attractive and non-attractive does not amount to zeroing. It only amounts to quantifying the volume of import that is likely to be diverted to Indian market in the event of cessation of duty and the volume that is relevant for the likelihood analysis. In a situation where Chinese producers have collectively exported ***MT to various countries, it is very evident that exports to third countries which were priced higher than export to India are unlikely to be diverted to India. It is only those volumes which are priced lower than selling price and NIP in India are likely to be diverted to India. Further, this volume is also relevant only to the extent that is at dumped price. If this volume is at un-dumped price, the same again does not establish likelihood of dumping. Therefore, the authority has analysed entire third country exports for the purpose of examining likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duty.
129. As regards wide fluctuations in raw material prices, authority notes that none of the parties have pleaded fluctuation in raw material prices as a relevant parameter during the course of the investigation. These parties have agreed to weighted average analysis.
130. As regards the duration for which ADD has been in force, authority notes that the duration of duty is irrelevant under Section 9A (5). The authority is required to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
131. As regards the contention that Chinese producers are operating at maximum capacity and there is no possibility of trade diversion, it is noted that the authority has made the determination based on the actual capacity utilisation that has been reported by responding exporters. Further, trade diversion analysis is based on volume and price of exports to various countries.

132. The authority notes that the profit and ROI of the domestic industry in post POI is quite low and therefore the argument that the domestic industry has made bumper profits in POI and post POI is factually incorrect.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

133. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
134. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. CONCLUSION

135. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. The domestic industry's performance has improved but remains vulnerable to dumping and consequent injury.
 - b. The information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

O. RECOMMENDATIONS

136. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
137. Having concluded that there is likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject country.
138. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR. However, the Designated Authority does not recommend individual rate of duty to those foreign producers/exporters who had been granted an individual rate of duty in the original investigation but have not participated in the subject sunset review investigation. Further, the cooperative producers in the present sunset review investigation that did not participate in the earlier investigation have been granted individual rate(s) of duty granted to cooperative producers/ exporters in the earlier investigation. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country.

DUTY TABLE

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5902.10	Nylon Tyre Cord Fabric	China PR	Any Country including China PR	Haiyang Technology Co., Ltd.	520	Per MT	US\$
2	- do -	- do -	China PR	Any Country including China PR	Hangzhou Dikai Industrial Fabrics Co., Ltd.	520	Per MT	US\$
3	- do -	- do -	China PR	Any Country including China PR	Huaian Nylon Chemical Fibre Co., Ltd.	520	Per MT	US\$
4	- do -	- do -	China PR	Any Country including China PR	Shenma Industrial Co., Ltd.	520	Per MT	US\$
5	- do -	- do -	China PR	Any Country including China PR	Junma Tyre Cord Company Limited	520	Per MT	US\$
6	- do -	- do -	China PR	Any Country including China PR	Any other than at S No. 1 to 5	1100	Per MT	US\$
7	- do -	- do -	Any Country other than China PR	China PR	Any	1100	Per MT	US\$

Note: Customs classification mentioned above is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration. The product under consideration mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

P. FURTHER PROCEDURE

139. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority